सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ

उत्तर प्रदेश

त्रैमासिक ई–पत्रिका

उद्घोष

प्रथम अंक

अप्रैल–जून 2021

संपादकीय समिति

डॉ नृपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश
सम्पर्क सूत्र : 9259049509

श्री संदीप चौहान
संरक्षक (संपादकीय समिति)
सम्पर्क सूत्र : 9451239147

श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह
सम्पादक
सम्पर्क सूत्र : 7398372302

श्री भागवत शुक्ल
सह सम्पादक
सम्पर्क सूत्र : 9936595999

श्री नरेश प्रताप सिंह
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, लखीमपुर

श्री संदीप श्रीवास्तव
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़

श्री विजय बहादुर सिंह
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, औरैया

श्री नीरज कुशवाहा
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, बस्ती

श्री अरुण मौर्य
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, बस्ती

श्री अनुज वर्मा
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, औरैया

श्री पवन कुमार
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर

श्री नन्दलाल
सदस्य (संपादकीय समिति)
जनपद न्यायालय, गोण्डा

सम्मानित साथियों,

हमारे यशस्वी संगठन की छाया हम सभी पर सदैव बनी रहे, हम सबको हमारे संगठन ने औपनिवेशिक काल से छाया प्रदान की है, हम सबने मिलकर इस संगठन में अपना योगदान किया है। इसी क्रम में संगठन के इस कार्यकाल में हमारे युवा ऊर्जा स्त्रोत श्री भागवत शुक्ल जी की पहल पर हम यह त्रैमासिक पत्रिका आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, इस पत्रिका में हमने पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसे ई-पत्रिका का स्वरूप प्रदान किया है।

हम अपने साथियों की लेखनी से निकले गद्य, कविता एवं लेख इत्यादि का प्रकाशन नियमित रूप से करेगें। हमने इस पत्रिका में अपने बच्चों का कोना भी दिया है, जिसमें हमारे नौनिहालों की लेखनी से प्रकाश बिखेरगा और उनकी कविताएं चित्र इत्यादि प्रकाशित कर उनका प्रोत्साहन करेगें।

आशा है कि आप सबका साथ मिलेगा और हमारी यह शुरूआत एक दिन कीर्तिमान स्थापित करेगी।

आपके और आपके परिवार के सुखद भविष्य की आशाओं के साथ...

आपका

(नरेन्द्र विक्रम सिंह)

सम्पादक

उद्घोष ''त्रैमासिक''

Justice Munishwar Nath Bhandari
Acting Chief Justice

High Court
Allahabad

12th July, 2021

MESSAGE

It is indeed a matter of great pleasure that the 'Diwani Nyayalay Karmachari Sangh, Uttar Pradesh', is publishing a Quarterly Magazine, titled as "Udghosh", which, apart from having a 'kids corner' for the children of judicial staff, will also publish articles, poems etc., of Judicial Staff.

I congratulate and extend my good wishes to the members of the 'Diwani Nyayalay Karmachari Sangh, Uttar Pradesh', for publication of "Udghosh" and for this new beginning to provide a platform for Judicial Staff and their children for expressing their creativity.

(Munishwar Nath Bhandari)

VVIP Suite First Floor Drummond Road, Guest House, Allahabad 211 001 Telephone : 0532 2622403

न्यायमूर्ति अत्ताउ रहमान मसूदी

लखनऊ खण्डपीठ,
लखनऊ

प्रिय न्यायिक कर्मचारीगण,

डॉ0 नृपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष (दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश) द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से मुझे यह सूचित किया गया कि श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह (प्रांतीय महासचिव) एवं श्री भागवत शुक्ल (प्रांतीय संयुक्त सचिव) के सम्पादन में त्रैमासिक ई–पत्रिका **'उद्घोष'** का प्रकाशन होना प्रस्तावित है। सर्वप्रथम मैं संघ को आशीष प्रेषित करता हूँ कि न्यायिक कर्मचारियों के सरोकारों को एक पत्रिका के रूप में सबके मध्य प्रस्तुत करना तथा न्यायिक कर्मचारियों के अपने लेखन क्षमताओं को एक मंच प्रदान करना सर्वथा स्वागत योग्य है।

सकारात्मक सोच के साथ संघ जब कर्मचारी हितों के विषय में गम्भीर होता है तो इस प्रकार का सार्थक प्रयास सदैव दूरगामी परिणाम लाता है।

उच्च न्यायालय कर्मचारी/अधिकारी संघ लखनऊ खण्डपीठ के बतौर अध्यक्ष इस पत्रिका का मैं स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि समस्त न्यायिक कर्मचारी अपने कार्यों के निष्पादन के साथ–साथ विचार, सुझाव और अपने रचनात्मक योग्यताओं को एक दिशा देते हुए निरन्तर सर्वहित के आलेख इस पत्रिका के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत करते रहेगें। मेरी हार्दिक शुभकामना एवं बधाई।

19.7.2021

(न्यायमूर्ति अत्ताउ रहमान मसूदी)

ब्रजेश पाठक
मंत्री
विधायी एवं न्याय,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

कार्यालय : कक्ष सं0-91-91 ए, मुख्य भवन
उ0प्र0 सचिवालय

दूरभाष : 0522-2238074/2213292 (का0)

लखनऊ : दिनांक.....

शुभकामना संदेश:

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश ने एक त्रैमासिक पत्रिका **"उद्घोष"** का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका में न्यायिक कर्मचारीगणों के लेख, कवितायें इत्यादि प्रकाशित किये जायेगें साथ ही कर्मचारीगणों के नौनिहालों हेतु "बच्चों का कोना" भी प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा लिखित लेख, कवितायें, चित्र इत्यादि प्रकाशित किये जायेगें। यह त्रैमासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में प्रसारित होने के साथ ही आमजन मानस के लिए बहुत लोकप्रिय एवं उपयुक्त होगी।

मैं इस अवसर पर त्रैमासिक पत्रिका के सार्थक प्रकाशन हेतु अपनी हार्दिक शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(ब्रजेश पाठक)
09.07.2021

BRIJESH KUMAR SHARMA
Registrar (J)(Inspection)
High Court, Allahabad

Dated: 15th, July2021

MESSAGE

"I hope this Quarterly magazine "UDGHOSH" is going to be an important platform for the members of the association to express their talent for social as well as the organisational cause. This publication will not only enhance the exchange of ideas and creativity but will also encourage better coordination and cooperation among its members, which is essential for a growth and strength of the organisation.

I wish all the success to the members of the association in their endeavour of furthering the cause of the organisation by publishing this magazine.

(Brijesh Kumar Sharma)

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, कर्मचारियों के विचारों, सुझावों एवं रचनात्मक प्रस्तुति हेतु मंच के रूप में त्रैमासिक ई-पत्रिका 'उदघोष' का प्रकाशन करने जा रहा है।

प्रांतीय संयुक्त सचिव श्री भागवत शुक्ल सहित समस्त सम्पादक समिति एवं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारीगण एवं सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(सूबेदार सिंह)
रजिस्ट्रार
(सुरक्षा एवं शिष्टाचार)
मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ

श्री भागवत शुक्ल
प्रांतीय संयुक्त सचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश।

शुभकामना संदेश

मुझे जानकार अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा न्यायालय के कर्मचारीगण के मानसिक एवं साहित्यिक उत्थान हेतु संघ **'उद्घोष'** नामक **त्रैमासिक पत्रिका** का प्रकाशन करने जा रहा है।

मैं इस पत्रिका के सम्पादक परिवार एवं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के सभी सम्मानित सदस्यों को इस पत्रिका के उतरोत्तर प्रगति हेतु अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ।

(विपिन कुमार यादव)
संयुक्त निबन्धक
मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ

शुभकामना संदेश

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, न्यायिक कर्मचारीगण के विचार, सुझाव, लेख, कविता इत्यादि हेतु एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह (प्रांतीय महासचिव) व श्री भागवत शुक्ल (प्रांतीय संयुक्त सचिव) के कुशल सम्पादन में **'उद्घोष'** त्रैमासिक ई–पत्रिका प्रकाशित करने जा रहा है।

पत्रिका के सम्पादक परिवार एवं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं सदस्यों को बधाई, इस पत्रिका के उतरोत्तर प्रगति एवं सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

Shailendra Kumar
09.07.2021.

(शैलेन्द्र कुमार)
उप निबन्धक (सुरक्षा)
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ
दिनांक : 09.07.2021

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारीगण हेतु एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से **"उद्घोष"** नाम से **त्रैमासिक पत्रिका** प्रकाशित करने जा रहा है।

पत्रिका के सम्पादक श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह व सह सम्पादक श्री भागवत शुक्ल एवं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण को अपनी शुभकामना प्रेषित करते हुए पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

दिनांक : 09.07.2021

(राजेश कुमार वर्मा)
उप निबन्धक
मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा **'उद्घोष'** नामक त्रैमासिक ई–पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

'उदघोष' ई–पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

दिनांक : 09.07.2021

Umesh Kumar

(उमेश कुमार वर्मा)
सहायक निबन्धक
मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि **दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश**, न्यायिक कर्मचारीगण के विचार, सुझाव, लेख, कविता इत्यादि हेतु एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से **'उद्घोष'** त्रैमासिक ई–पत्रिका का प्रकाशन करने जा रहा है।

ई–पत्रिका के सम्पादक परिवार एवं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं सदस्यों को बधाई। **'उदघोष'** पत्रिका के उतरोत्तर प्रगति एवं सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

9/7/21

(आफ़ताब आलम)
सहायक निबन्धक
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

सन्देश

अत्यन्त खुशी की बात कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र० अपनी त्रैमासिक पत्रिका **'उदघोष'** का प्रकाशन करने जा रहा है। यह संगठन के लिये और संगठन के लोगों के लिये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिसमें कर्मचारियों के समस्याओं और संगठन की गतिविधियों की जानकारी इस पत्रिका में मिलती रहेगी, एक दूसरे से जुड़े रहेगें। तमाम प्रतिभाएं लोगों में रहती है, उनके लिए यह एक अवसर होता है। मैं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ कि इस कदम की प्रशंसा करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।

(विजय कुमार 'बन्धु')

राष्ट्रीय अध्यक्ष
NATIONAL MOVEMENT FOR
OLD PENSION SCHEME (NMOPS)
प्रदेश अध्यक्ष - अटेवा उत्तर प्रदेश

कोरोना महामारी के कारण असमय दिवंगत होने वाले न्यायिक कर्मचारी साथियों एवं न्यायिक अधिकारियों को

भावपूर्ण श्रद्धांजली

प्रिय बन्धुओं,

हमारा संघ हम सबके अधिकारों के लिए सतत प्रयत्नशील है, हम निरन्तर हमारे हितों को हर उचित और सक्षम स्थान पर उचित तरीके से रखते रहे हैं।

हमने अपनी हर माँग को नियमों से सिद्ध करते हुए रखा है, हमारी शेट्टी कमीशन की अवशेष संस्तुतियों को लागू किये जाने सम्बन्धी याचिका भी हमारे पक्ष ही रहेगी, क्योंकि हमने हर बिन्दु को संस्तुतियों के साथ रखा है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हमारी मांगे शासन ने अपने गलत रिपोर्टिंग के आधार पर रोक रखी है, न्यायालय के आदेश होते ही हर मांगे शासन को माननी पड़ेगी। जिसकी सकारात्मक शुरूआत हो चुकी है।

इसी क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हम अक्सर सोंचते थे कि पुलिस, स्वास्थ्य, कलेक्ट्रेट आदि विभागों के कर्मचारियों के राजकीय आवास की कालोनियां होती है तो न्यायिक कर्मचारी इससे वंचित क्यों ?

हमारे प्रांतीय महासचिव महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शेट्टी कमीशन की संस्तुतियों के साथ आवास के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन भेजा जिसे न्यायालय ने पूरी तरह स्वीकार किया। साथ ही समस्त जनपदों में कलेक्ट्रेट के राजकीय आवासों के 15% मकान न्यायकर्मियों को आवंटित किये जाने के निर्देश दिये साथ ही शासन को भी निर्देश दिया कि न्यायिक कर्मचारियों के आवास के लंबित इस्टीमेट की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

जिनके अपने मकान है वे इस काम का लाभ नही जानते लेकिन जो साथी इधर-उधर किराए के मकानों में रह रहे है वे इस कार्य का महत्व समझते हैं। मेरा मानना है कि यह कार्य संघ का एक मील का पत्थर साबित होगा। हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं आप सभी साथ, विश्वास और धैर्य बनाए रखिए, हम हर मुद्दे पर सफल होंगे।

जय संघ !

(डॉ नृपेन्द्र सिंह)

प्रांतीय अध्यक्ष

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ0प्र0

हौसले बुलंद होंगे तो बुलंदी मिलती है।

दोस्तों हमें लगता है कि कोई आएगा और हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, यही विचार हम अपने कार्य क्षेत्र के विषय में भी सोचते हैं, और चाहते हैं कि कोई आगे बढ़कर हमारी समस्याओं का समाधान करें। यद्यपि मैं मानता हूं कि संघ का दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान करें, मगर हमें यह भी समझना होगा कि संघ किन्हीं बाहरी व्यक्तियों से नहीं बना। इसके पदाधिकारी आपके बीच के ही कर्मचारी हैं और उन्हें उन्हीं परिस्थितियों में कार्य करना होता है जिन परिस्थितियों में आप कार्य कर रहे हैं । उन्होंने आपकी आवाज उठाने का लिए और संघर्ष करने के लिए दायित्व लिया है । दोस्तों संघ के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, संघ के पास उतनी ही शक्ति है जितनी आप उसे प्रदान करते हैं। मैं मानता हूं कि यह एक हवन के समान है इस हवन में जितनी आहुति पड़ेगी हवन की अग्नि उतनी ही प्रजवलित होगी। दोस्तों वर्तमान परिवेश में हमारी जो भी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए संघ के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं व आह्वान करता हूं कि आप सभी आगे बढ़ कर संघ का सहयोग करें, संघ से जुड़े, जिन जिलों में संगठन नहीं है वहां संगठन से जोड़कर उसका पुनर्गठन करें, संघ के किसी भी आह्वान पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। दोस्तों हमें सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करना है। साथियों महात्मा गांधी जी ने कहा था कि "कोई भी संगठन तब तक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बन जाता" हमें अपने संगठन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा, पूरे प्रदेश के सभी न्यायिक कर्मचारी प्रतिवर्ष मात्र 100/- का योगदान प्रदेश संघ को प्रदान करें तो संघ के पास धन की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। मुझे लगता कि प्रतिवर्ष 100/-तो हम अपने संघ को दे ही सकते हैं। दोस्तों हमें सोचना होगा कि शासन द्वारा दिए गए लाभों से हम क्यों वंचित रह गए ? इस विषय में मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारा संगठित नहीं रहना हैं, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम ऐसे ही उपेक्षित रहेंगे। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए संघ को उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिल सका, के एल शर्मा समिति की रिपोर्ट शासन में वर्षों से लटकी है उसे अभी तक लागू नहीं किया गया, और आज हम इस स्थिति में भी नहीं है कि हम अपनी मांगों के लिए एक दिन का सामूहिक कार्य बहिष्कार भी कर सकें। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए संघ उच्च न्यायालय की शरण में है और के एल शर्मा समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए संघ जल्दी ही न्यायायिक प्रक्रिया अपनाने जा रहा है । दोस्तों यह तो बड़ी समस्या है मगर जिलों में जो हमारी रोज की समस्या है उसके समाधान के लिए हमें जिला शाखा को खड़ा करना होगा और उसे अपनी सहभागिता से उसे मजबूत करना होगा। दोस्तों अंत में मैं आप सभी से संघ से जोड़ने के आह्वान के साथ इन शब्दों के साथ अपनी लेखनी को विराम देना चाहूंगा कि.....

हौसले बुलंद होंगे तो बुलंदी मिलती है।
बढ़ के थाम सके तो जिंदगी मिलती है।।

जय संघ !

(अभिषेक सिंह)
वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र०

अस्तित्व की तलाश में

अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारी आज तक न्यायपालिका में अपने अस्तित्व की तलाश की जद्दोजहद में है। हम कार्य करते है न्यायपालिका में समस्त न्यायिक कार्यों को हमारे ही हाथो से गुजरना है न्यायपालिका में लंबित निर्णीत प्रत्येक पत्रावली के प्रत्येक पन्ने की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है हमारे हस्तलेख ही भरे पड़े है इन न्यायिक पत्रावलियों पर इनके हर कागज और उस पर लिखे हर शब्द की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ही है।

यदि किसी भी पत्रावली पर लिखे किसी भी शब्द में कुछ कटिंग हो जाय या कोई शब्द बढ़ जाय तो उसकी भी जिम्मेदारी हम कर्मचारियों की ही होती है और किसी भी ऐसी घटना पर उसकी जांच हमारे ही विरूद्ध होती है। अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित प्रत्येक पत्रावली के कस्टोडियन हम ही हैं हम जिम्मेदार तो है ही साथ ही जवाबदेह भी और हमारी पीढ़ियों ने यह जिम्मेदारी उठाई है और आगे भी यह जिम्मेदारी और जवाबदेही हम उठाते भी रहेंगे।

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने हमारे कार्यों की सराहना करते हुए हमें अधीनस्थ न्यायपालिका की रीढ़ तक कह दिया हमारी कार्यशैली यह है कि इस शताब्दी में हमारे संगठन ने आज तक हड़ताल जैसी घोषणा नहीं की और जन-जन तक न्याय की अविरल धारा पहुंचाने में अपना योगदान किया।

लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब अपना विधिक अस्तित्व तलाशते है तो हमारी विधिक स्थिति है कि हम गैर न्यायिक कर्मी की परिभाषा से परिभाषित किए जाते है आखिर यह व्यवस्था हमें गैर भी कहती है और न्यायिक कार्यों के निष्पादन में कई विधिक कार्य भी हमसे ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ लेती है यह कितनी बड़ी विडम्बना है पूरे राष्ट्र में कोई भी विभाग अपने कर्मचारियों को गैर शब्द से संबोधित नहीं करती लेकिन अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारियों के साथ यह संबोधन और प्रास्थिति प्रयुक्त होती है।

हम प्रयास में है कि पूरे देश में अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारीगण के समान वेतनमान एवं समान सेवा शर्तों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी महासंघ की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत याचिका स्वीकार हो और तब जो आयोग बनेगा वहां हम इस गैर शब्द को भी हटाने का प्रयास करेंगे लेकिन तब तक हमें अधीनस्थ न्यायपालिका में अपना अस्तित्व तलाशना होगा।

जय संघ !

(नरेन्द्र विक्रम सिंह)

प्रांतीय महासचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ0प्र0

जस्टिस के0 एल0 शर्मा समिति पर संघ का रुख

सर्वविदित है कि प्रदेश के अधीनस्थ दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालय वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के कर्मचारीगण की भारी कमी से जूझ रहे हैं। पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का एक कर्मचारी तीन-चार कर्मचारियों का कार्य कार्यभार अकेले वहन करने के लिये विवश है, ऐसे में कर्मचारी की कार्य कुशलता एवं दक्षता दोनो पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। साथ में वादों के निस्तारण की गति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ने से इन्कार नही किया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी से कोई गलती होती है 'जो कि कार्य की अधिकता व भारी मानसिक दबाव के माहौल में कार्य करने पर स्वाभाविक है' तो उसे अविलम्ब बिना सोंचे समझे बिना उसके कार्यों की अधिकता की समीक्षा किये विभागीय जाँच से नवाज़ दिया जाता है।

इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारियों के कार्यों की अधिकता एवं पद के मानको के निर्धारण करने हेतु शासनादेश संख्या 5897/सात-अ०न्या०-711/85, दिनांक 26-09-87 के द्वारा एक विशेष समिति गठित की गयी थी। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य की अधिकता का आकलन करते हुए तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से गठित की गयी जिससे स्टाफ की एकरूपता बनाए रखी जा सके ताकि वादों के निस्तारण में गति लाई जा सके।

समिति ने दिनांक 31 जुलाई 1989 को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी परन्तु न्यायिक कर्मचारीगण को अन्याय के सिवा कुछ भी प्राप्त नही हुआ। रिपोर्ट आने के इतने वर्षों बाद भी उपरोक्त जस्टिस के०एल० शर्मा रिपोर्ट का आज तक पूर्ण रूप से लागू नही हो पाना न्यायिक कर्मचारियों के प्रति शासन द्वारा स्पष्ट रूप से पक्षपात एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार का परिचायक है। यदि यह रिपोर्ट लागू हो गयी होती तो अब तक न्यायिक कर्मचारियों को सम्यक राहत मिलती और वे अपने कार्यों को अधिक कुशलता एवं दक्षता पूर्वक सम्पन्न कर पाते तथा लम्बित वादों का निस्तारण भी तीव्र गति से होता पाता। के०एल० शर्मा समिति की संस्तुतियों का लागू होना हम सभी कर्मचारीगण के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है।

इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रांतीय संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि जस्टिस के०एल० शर्मा समिति के प्रत्येक पहलू व उसकी यथा स्थिति से अवगत होने के पश्चात् अनुशंसाओं को लागू करवाने के लिये कर्मचारी हित में याचिका दायर करने हेतु संघ द्वारा कदम बढ़ाया जायेगा। इस हेतु आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा।

जय संघ !

(भागवत शुक्ल)
प्रांतीय संयुक्त सचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ0प्र0

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु संघ के द्वारा किये जा रहे सार्थक प्रयास

अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानान्तरण एक प्रमुख समस्या रही है संघ द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रावधान बनाये जाने हेतु प्रयासो की श्रृंखला में माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से शिष्टाचार भेंट करके एक प्रत्योवदन पत्रांक संख्या 45/2021 दिनांकित 15/06/2021 के माध्यम से अन्तर्जनपदीय स्थनान्तरण हेतु निम्न मांगे उठायी गयी :-

- अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों हेतु बन रहे पोर्टल का प्रयोग करके स्थानान्तरण प्रक्रिया को भी पूर्णतया ऑनलाईन करवाने अथवा स्थानान्तरण प्रक्रिया हेतु एक विशेष पोर्टल की मांग।
- समस्त स्थानान्तरण आवेदन आनलाईन लिये जाने व आवेदन करने के बाद उन आवेदनों की वास्तविक स्थिति की जाँच हेतु ऑनलाईन विकल्प देने हेतु मांग।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया में 5 साल की बाध्यता को खत्म करते हुए परीवीक्षा अवधि पूर्ण करने अर्थात 02 वर्ष सन्तोषजन सेवा देने के पश्चात स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने की पात्रता हेतु शिथिलता प्रदान करने की मांग।
- दिव्यांगजनों की गम्भीर समस्याओं के दृष्टिगत स्थानान्तरण हेतु विशेष प्रावधान बनाने हेतु मांग।
- स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के 06 माह से लेकर 01 वर्ष के भीतर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए स्थनान्तरण प्रक्रिया पूर्ण करने के प्रावधान/बाध्यता तथा उक्त निर्धारित मानकों के तहत स्थानान्तरण न होने की दशा में सम्बन्धित की जबाबदेही तय करने का भी प्रावधान करने हेतु मांग।
- अन्य विभागों की तरह पति-पत्नी के सरकारी सेवा में रहने पर उनको यथा सम्भव एक ही जनपद में रहने का विशेष प्रावधान है, अधीनस्थ न्यायालयों में भी इस तरह के प्रावधान करने हेतु मांग।
- न्यायिक कर्मचारियों द्वारा पूर्व से अब तक स्थानान्तरण हेतु जितने भी आवेदन किये जा चुके हैं। उन सभी का निस्तारण 01 वर्ष के भीतर सुनिश्चित करवाने हेतु मांग।
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में आयोजित किये जाने वाली केन्द्रीयकृत भर्ती परीक्षा में नवनियुक्त कर्मचारियों को यथा-सम्भव उनका गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद ही आवंटित किये जाने हेतु प्रावधान करने की मांग।

प्रांतीय पदाधिकारीगण को प्रथम चरण में कुल 62 जनपदों का प्रभार आवंटित हुआ

माननीय प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा संगठन को मजबूती एवं प्रत्येक जनपद में **सशक्त संगठन – समर्थ कर्मचारी** की अवधारणा को धरातल पर लाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में कुल (62) जनपदों का प्रभार इस निर्देश के साथ दिया गया कि प्रत्येक जनपद में संघ शाखा का नवीन गठन कराकर जिला इकाई का बैंक खाता खुलवाने तथा प्रत्येक सदस्य की समस्या को निस्तारित कराने के लिये आवश्यक कार्य करेगें। तथा उपरोक्त आंवटित जिलों के प्रभारी अपनी आख्या लिखित रूप में प्रेषित करेंगें। माननीय प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये (62) जनपदों का प्रभार इस प्रकार हैं :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	जिलों का नाम व अन्य टिप्पणी
1-	श्री अभिषेक सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)	संघ द्वारा की गयी समस्त रिटों की पैरवी हेतु
2-	श्री हरिशंकर श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष)	हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ एवं शेट्टी आयोग व अन्य रिटों में अपेक्षित सहयोग हेतु
3-	श्री सैय्यद मोहम्मद ताहा (उपाध्यक्ष)	चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा
4-	श्री विवेक दत्त उपाध्याय (उपाध्यक्ष)	औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद एफ०टी०सी० नियमितीकरण प्रक्रिया में पैरवी हेतु
5-	श्री अमरेश चन्द दुबे (उपाध्यक्ष)	मिरजापुर, भदोही, सोनभद्र
6-	श्री जय शंकर त्रिवेदी (उपाध्यक्ष)	गोण्डा, बाराबंकी, सुल्तानपुर
7-	श्री संजीव विश्वकर्मा (उपाध्यक्ष)	आगरा, मथुरा, मेरठ
8-	सुश्री प्रतिभा तोमर (उपाध्यक्ष)	हापुड, बुलन्दशहर
9-	श्री विवेक त्रिपाठी (उपाध्यक्ष)	चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी
10-	श्री धीरेन्द्र सिंह (उपाध्यक्ष)	कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, जालौन
11-	श्री अवनीश श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष)	इलाहाबाद जनपद का प्रभार संघ की समस्त रिटों की पैरवी के लिये श्री अभिषेक सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) जी के सहयोग हेतु
12-	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (संयुक्त सचिव)	अंबेडकरनगर, अमेठी, अयोध्या, सन्तकबीरनगर
13-	श्री प्रिय रंजन किशोर (संयुक्त सचिव)	बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर
14-	श्री प्रेम नारायण (संयुक्त सचिव)	सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव
15-	श्री संदीप कुमार यादव (संयुक्त सचिव)	मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर
16-	श्री भागवत शुक्ल (संयुक्त सचिव)	बस्ती जनपद का प्रभार एवं श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह प्रांतीय महासचिव महोदय के सहयोग हेतु
17-	श्री देवराज सिंह (संगठन सचिव)	अलीगढ़, एटा, हाथरस
18-	श्री अवधेश खरे (संगठन सचिव)	झांसी, ललितपुर
19-	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (संगठन सचिव)	श्रावस्ती, बहराईच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर
20-	श्री सुधीर कुमार विश्नोई (संगठन सचिव)	अमरोहा, बिजनौर, सम्भल
21-	श्री अजय गर्ग (संगठन सचिव)	मुरादाबाद, रामपुर, कासगंज
22-	श्री नीरज श्रीवास्तव (कोषाध्यक्ष)	कोष को मजबूत बनाने एव कोष के संरक्षण हेतु
23-	श्री रतन कुमार श्रीवास्तव (सांस्कृतिक सचिव)	कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर

संगठन शक्ति है "संघे शक्ति कलयुगे"

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण स्तम्भ के नींव के पत्थर के रूप में हम सभी का योगदान आम जनता को सुलभ न्याय दिलवाने में कम नही है। अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के अथक प्रयास से देश का वादकारी सुलभ न्याय पाने में समर्थ हो पा रहा है।

साथियों आज के समय की मांग है कि हम सभी अपने क्षुद्र स्वार्थ का त्याग करते हुए बन्धुत्व भावना से ओत-प्रोत होकर एक-दूसरे का सहयोग करके ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। प्रायः देखा जा रहा है कि हमारा समाज आपस में अपने क्षुद्र स्वार्थों में उलझ कर अपने ही लोगों से मनोमालिन्यता रखकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह हमारे संगठन के लिये शुभ संकेत नही बल्कि पूर्णतया घातक है। संगठन को विखंडित करने वाली शक्तियां सक्रिय होकर दमनात्मक स्वरूप में जन्म ले लेती है। जिसके लिये हम आप ही उत्तरदायी है। मैं आहवान करता हूं कि आइए हम सब संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर सुनहरे भविष्य का निर्माण करें।

वर्तमान में हमारे कर्मचारी साथी अनेकों समस्याओं से ग्रसित हैं जहां अन्य प्रतिष्ठानों में विशिष्ट सेवा लाभों से कर्मचारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन उत्कर्ष की ओर अग्रसर है वहीं हमें मिल रहे सेवा लाभों से शासन की नीतियों के कारण वंचित होना पड़ रहा है। पदोन्नति के अवसरों का नितान्त अभाव है। जबकि इसके प्रतिकूल प्रत्येक कर्मचारी पर कार्य का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

आइए हम सभी मिलजुल कर स्नेह एवं त्याग की भावना का संचार करते हुए अपने अधिकारों 'जो कि संविधान द्वारा आच्छादित है' को सुरक्षित व संरक्षित करते हुए सार्थक दिशा में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढें।

संगठन के छः मूल मंत्र :-

०१. संगठन के लिये लड़ाई करो।
०२. लड़ नही सकते तो लिखो।
०३. लिख नही सकते तो बोलो।
०४. बोल नही सकते तो साथ दो।
०५. साथ नही दे सकते तो जो लिख कर बोल रहे हैं उनका अधिक से अधिक सहयोग करें, संघर्ष के लिये ताकत दें।
०६. यह भी नही कर सकते तो कम से कम संघर्ष करने वालों का मनोबल न गिरायें, क्योंकि कही न कहीं कोई हमारे और आपके हित में आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं।

"निश्चित रूप से यदि आप शहद रूपी परिणाम की चाहत रखते हैं तो संगठन मधुमक्खियों जैसा बनाएं।"

जय संघ .....

(सैय्यद मोहम्मद ताहा)
प्रांतीय उपाध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

हमारा समय अमूल्य है, हम कैसे इसे बिताते हैं।

इच्छाएँ सुहानी होती है, पर इनसे सुहाना होता है इन्हे इनकी यथास्थिति पर छोड़ देना,
उसे समय के आसरे छोड़ देना, क्योंकि ये वर्तमान से पलायित कर देती हैं, दूर कर देती है
हमें खुद में बैठी उस सत्ता से, जो हमें संचालित करती है, स्वयं के बोध भाव से
हमें प्रेरित करती है जो विराग सहित अपने जीवन यापन के लिये सार्थक कर्म की ओर।
इच्छाएँ निर्धारित हैं, किसी न किसी रूप में फलीभूत हो जाना, इनका ध्येय है।
बेहद प्यासी होती हैं ये, भावनाओं का सैलाब ढूंढती हैं,
अपनी प्यास बुझाकर, हमारे व्यक्तित्व को प्यासा बना देती हैं,
हम खुद को अधूरे से प्रतीत होते हैं, कचोट शोर मचाती है।
पूर्णता में सुख, अधूरेपन में दुख का आभास होता है।
समय व्यर्थ होने लगता है, अनावश्यक दुविधा में अपनी सत्ता से दूर जाते हैं।
जो है समक्ष, उसको भूल जाते हैं, भ्रम समझते जाते हैं,
भीतर आते हैं व्यथा मिटाने का भरोसा दिलाते हैं,
हम और उलझ जाते हैं, बड़े भाग्य से मिले जीवन के इन पलों को
हम यूँ ही गंवाते हैं, एकरसता से, हम विलग हो जाते हैं,
अपने परम स्नेही का हृदय दुखाते हैं, सत्य सामने है कि
हमारा समय अमूल्य है, हम कैसे इसे बिताते हैं।

(प्रभात कुमार शुक्ल)
अनुभाग अधिकारी 'डिक्री'
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

यात्रा

(राजेश तिवारी)
समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

ओ रे पाखी कलरव करता जाता तू किस ठौर,
यह बतला दे मार्ग तेरा ले जाता है किस ओर।
पिता कौन, तू पुत्र है किसका, है तेरा क्या वंश,
राह देखती होगी माता तू है जिसका अंश।
कौन है सुत और कौन प्रेयसी कौन है तेरे अपने,
नित्य यात्रा करता कितने, आखिर कितने सपने।
नित्य ढूंढने चंद्र को मैं चलता जाता हूँ।
हर कठिनाई मार्ग की मैं हलता जाता हूँ।
पिता-पुत्र न जानूं बस दल को ही मानूँ,
दल में संगी कौन मेरे यह भी न जानूं।
पथिक सभी संग में सबका एक ही पथ है।
पथ का लक्ष्य हैं बिंदु जहां पर इंदु का रथ है।
दिन भर चल कर थका हूँ अब विश्राम करूंगा।
पुनः तरो ताजा हो फिर से कल चल दूंगा।
कल भी कुछ यूँ हुआ यात्रा के इस रंग में,
प्रात में ओझल हुआ रात को जो था संग में।
नया एक खग दिखा साथ मुझको फिर अपने,
उसे साथ ले मुझे देखने है अब सपने।
मैं भी एक दिन यूँ हीं हो जाऊँगा ओझल,
पर यह मेरा आज नहीं है होगा यह कल।
आज मुझे जी भर कर यह जीवन है जीना,
कल कल करती सरिता का जल मुझको पीना।
कर ऊर्जित जीवन दीपक को जीवन जल से,
संचित कर ऊर्जा चल दूंगा मैं फिर कल से।
अहत ऊर्जा से प्रज्ज्वल कर जीवन बाती,
चन्द्रमार्ग की सैर करेंगे हम सब साथी।
जब तक मुझको परमसूर्य की ज्योति मिलेगी,
मार्ग अनंत की सतत यात्रा सतत चलेगी ।

अब कहाँ .....

(प्रभात कुमार शुक्ल)
अनुभाग अधिकारी 'डिक्री'
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

वो तपिश वो नर्मी कहाँ, वो सहन वो चुभन अब कहाँ ।
नजरें चाहत से भरी रहती थी, वो दिलकश नज़ारे अब कहाँ।
भीनी-भीनी सुगंध से भर देते थे, मनोवृत्ति में वो ठहराव अब कहाँ।
वो किसी के कौशल पे सहज दाद, किसी के उछाह पे शाद अब कहाँ।
हर्ष हो या दुःख कोई नही साथी, वैसे शुभेच्छु वैसे दयार्द्र अब कहाँ
सोचने को विवश कर देते थे जो, वो हम नशीं वो नुक्ताचीं अब कहाँ।

भीड़ उमड़ पड़ेगी ....

आप अकेले ऊपर उठ रहे हो तो नीचे गिराने को भीड़ उमड़ पड़ेगी
अगर चैन से जी रहे हो तो तुम्हें बेचैन करने को भीड़ उमड़ पड़ेगी
शान्ती से बशर हो रहा हो तुम्हारा आग में झोंकने को भीड़ उमड़ पड़ेगी
तुम्हारे कदम बड़ रहे हो आगे तो पीछे खींचने को भीड़ उमड़ पड़ेगी
सुख की नींद ले रहे हो अगर तुम तो सपने तोड़ने को भीड़ उमड़ पड़ेगी
प्रेम बांट रहे हो अगर तुम किसी को नफ़रत बांटने को भीड़ उमड़ पड़ेगी
अकेले ही यादों में खोये हुए हो तो गुम शुदा करने को भीड़ उमड़ पड़ेगी

(आशुतोष कुमार कटियार)
लिपिक 'रेलवे कोर्ट'
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद

वर्तमान में विषेशतर कोविड महामारी के दौर में सबसे प्रताड़ित एवं पीड़ित वर्ग का समाज एवं राजनीति पीड़ापूर्ण व्यांगत्मक प्रश्न

मौन है आज जाती धर्म के देखो वो सब ठेकेदार
जो बजाते न थकते थे हिन्दू मुस्लिम दलित स्वर्ण के
मुरली ढपली और गिटार,

जिस एक नारी के सम्मान में आंखे भर आती थी
और रगों में दौड़ती थी अंगार,
आज सड़को पर बिलखती महिलाओं को देख
धृतराष्ट्र बन गए सब नैन लाचार,

न पहचान हो रही कपड़ो से न मिल रहा नामो से सम्मान
मजदूर है इंसान नही फिर क्या हक़ क्या अधिकार और कैसा अपमान और कैसा सम्मान,

इतना व्यथित भी मैं न होता जो तू मुझ तक आ पाता
कभी भगवा तिलक लगा कर कभी पहन टोपी जालीदार,

कभी दलितों के मसीहा बनकर, कभी सवर्णो के रखवाले
बस दे के जाता खाने को पेट भर न सही,
कम से कम दो या चार ही निवाले।

यू तो बहुत बांटा है बहुत बनाया अपने स्वार्थ का शिकार,
बहुत दौड़ाया अपने पीछे लिए ध्वज हाथ भगवा नीला हरा और लाल,
कहाँ छुपे हो छोड़ कर ऐसे अपने वोटों को लाचार,

कुछ तो बोलो कुछ तो करो जाती धर्म के सारे ठेकेदार
जो बजाते न थकते थे हिन्दू मुस्लिम दलित सवर्ण के मुरली ढपली और गिटार।।

(विवेक कुमार)
वरिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, अमेठी
सम्बद्ध : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

समर्पण

हे दुनिया के सम्प्रभु स्वामी, हे परमेश्वर हे ज्ञान तत्व,
हे युगदृष्टा, तू निराकार, तू महाबोधि, तू परम मित्र
कर मुझ पर कृपा, हे कृपानिधान, न हो मुझे कोई अभिमान।
मन मेरा हो जाये, सुबोध सरल, नित ध्यान लगे मेरा तुझमें,
करता रहूं तेरा गुणगान।

मैं भटका फिरता, क्यों, कहां, किधर, तू तो है जग में यत्र-तत्र
कर दे प्रभु बस इतनी कृपा, रहे तेरे नाम की सदा लगन
मन रम जाये तुझमें मेरा, हो तत्व ज्ञान की रटन-रटन।

तू निर्विकार, तू ज्ञान स्रोत, तू करूंणा से है ओत-प्रोत
मेरे मन में भर दे प्रभु, दया भाव, हो सेवा की प्रस्फुटित किरण।
कर्तव्य बोध बना रहे, और करता रहूं तेरा सुमिरन
कर मुझ पर कृपा, हे कृपानिधान, करता रहूं तेरा गुणगान।

(सुधीर कुमार विश्नोई)
प्रांतीय संगठन सचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

शंखनाद

(अभिषेक श्रीवास्तव)
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, गोरखपुर

प्रत्यक्ष हो या न हो, हम न्याय व्यवस्था के संचालक हैं।
अधिवक्ता और अधिकारी के मध्य स्थित सहायक हैं।
जो गिन ना सके उन पन्नों के संरक्षक कार्यपालक हैं।
प्रांरभ हमी हैं, अंत भी हम हैं,
न्यायपालिका के स्तंभ भी हैं।
त्वरित हम हैं विलम्ब भी हम हैं,
न्याय की शक्ति के परिचायक भी हम हैं।

किन्तु

क्यों बोध कराया जाता है, किरदार हमारा सौतेला।
हर कर्म हमारे अर्जुन के, और नाम कर्ण का बतलाया।
बैल कोल्हू का हमसे अच्छा है, अधिकार तो उसका सच्चा है।
ना सीमित होता कार्य हमारे, ना ही समय की सीमा तय हैं।
तय कर दिये हैं लांछन सारे, दोष और मिथ्या सारे।
जूझ-जूझ कर घटते रहते जीवन के सारे पल हमारे।
सन्नाटा भी शोर लगता है,
जब परिवार खड़ा दूसरी ओर लगता है।
भौतिकता की इस दुनिया में, तानों का अंबार लगा है।
अर्जित क्या करते है, और व्यय कैसे होता है।
इसी दुविधा में हर रोज हमारा परिवार पड़ा है।
आज नही तो कल बदलेगा, समय बड़ा बलवान है।
हर खाई पाटी जाएगी, कोई क्षितिज अछूता न होगा।
न्याय के इस मंदिर में, इस न्यायदूत का भी सम्मान है।
वे समय ज्यादा दूर नही, समय बड़ा बलवान है।

निर्भता भय देती है

कब तक रहोगे निर्भर, निर्भरता भय देती है.....

कौन तुम्हे राह दिखाए, कौन तुम्हारे आंसू पोंछने आये।

कौन है जो राह के सारे चुन ले कांटे, कौन है जो सुख दुःख निश्छल हो बांटे।

किसके सहारे अपना जीवन जीते, किसके कहने पर विष के सारे प्याले पीते।

खुद की रोशनी ही तुम्हे आगे बढ़ाएगी, बाकी रोशनी केवल मार्ग दिखाएगी।

जब हो जाओगे तैयार, तब मिल जायेगा जानकार।

सहज निरंतर प्रयास तुम्हे आगे बढ़ाएगा,
जल्दबाज़ी और जबरदस्ती यहां न काम आएगा।

जीवन नही कि नकल कर जीना, जीवन वही जो संभल कर महसूस करना ।।

(आशुतोष झा)
जिला एवं सत्र न्यायालय, शामली

संगठन की आवश्यकता क्यों ?

मनुष्य के जीवन में संगठन का बड़ा महत्व है। अकेला मनुष्य शक्तिहीन है, जबकि संगठित होने पर उसमें शक्ति आ जाती है। संगठन की शक्ति से मनुष्य बड़े-बड़े कार्य भी आसानी से कर सकता है। संगठन में ही मनुष्य की सभी समस्याओं का हल है। जो परिवार और समाज संगठित होता है वहां हमेशा सभी समस्याओं का हल आपसी विचारों और सहयोग से निकल आता है। संगठित परिवार, समाज और देश का कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि असंगठित होने पर दुश्मन जब चाहे आप पर हावी हो सकता है। संगठन का प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्व होता है, जबकि बिखराव किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता है। संगठन का मार्ग ही मनुष्य की विजय का मार्ग है। यदि मनुष्य किसी गलत उद्देश्य के लिए संगठित हो रहा है तो ऐसा संगठन अभिशाप है, जबकि किसी अच्छे कार्य के लिए संगठन वरदान साबित होता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ संगठन और एकता का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का विशेष महत्व होता है इसलिए जब मनुष्य संगठित होकर कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम में विविधता देखने को मिलती है। जिस तरह प्रत्येक फूल अपनी-अपनी विशेषता और विविधता से किसी बगीचे को सुंदर व आकर्षित बना देते हैं उसी तरह मनुष्य भी अपनी-अपनी विशेषता और योग्यता से किसी भी कार्य को नया आयाम प्रदान कर सकते हैं।

यह भी संभव नहीं है कि किसी विषय पर सभी व्यक्तियों का मत एक जैसा ही हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विषय या समस्या को अपने नजरिये से ही देखता है और इसी आधार पर उसका समाधान भी खोजता है, लेकिन जब बात संगठन की आती है तब मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। संगठन में प्रत्येक मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण करना होता है इसलिए संगठन में व्यक्ति को शारीरिक तौर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक व बौद्धिक रूप से भी समर्पित होना पड़ता है।

एकजंगल में एक चींटा अपने बिल में रहता था। एक बार उस देश का राजा उस जंगल में शिकार खेलने आया। सारे चींटों के घर राजा के सैनिकों के घोड़ों के चलने से फूट गए। इससे चींटों को रहने की समस्या पैदा हो गई। उनके अंडे भी नष्ट हो गए और अनेक बच्चे भी मारे गए। अपनी जाति और वंश को तहस-नहस हुआ देख चींटों के सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा से बदला लेने की ठानी। वह जंगल से महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे सर्वप्रथम एक भालू मिला। उसने चींटे से पूछा - 'कहां जा रहे हो, सरदार चींटे ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा - 'मैं राजा से बदला लेने जा रहा हूं।' भालू बोला - 'मुझे भी साथ ले चलो।' चींटे ने भालू को अपने साथ ले लिया। इसी तरह और आगे बढ़ने पर चींटे को क्रमशः शेर, बंदर, लोमड़ी, सियार, हाथी और घोड़ा मिले, जिन्होंने चींटे का साथ देना पसंद किया।

इस प्रकार एक बहुत बड़ी फौज चींटे के साथ चल पड़ी। महल के द्वार पर पहुंचकर चींटे ने राजा को युद्ध के लिए ललकारा। शोर सुनकर राजा ने अपने महल की खिड़की से नीचे देखा, तो इतनी बड़ी फौज देखकर डर गया। कारण जानने के बाद उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए चींटे के पास यह संधि प्रस्ताव भेजा कि उनके क्षेत्र को आने-जाने वालों के लिए वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। इस प्रकार एक छोटे से चींटे ने भी राजा को झुकने हेतु विवश कर दिया।

कहने का तात्पर्य यह है कि संगठन में बड़ी ताकत होती है। मिल-जुलकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना आसानी से किया जा सकता है। आइए संगठित होकर अपनी समस्याओं का हल खोजते हैं।

(राजेन्द्र कुमार जौहरी)
पूर्व प्रांतीय संघ मार्गदर्शक
पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला एवं सत्र न्यायालय, उन्नाव

न्यायिक कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य में 'कर्मचारी एकता' शब्द की समीक्षा

"कर्मचारी एकता" शब्द है जो सुनने में काफी अच्छा लगता है लेकिन दीवानी न्यायालय कर्मचारियों में यह शब्द कितना प्रभावी और सार्थक है इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि न्यायालयों के कर्मचारियों की अधिकांश ऐसी समस्याएं है जो प्रशासनिक स्तर से नही बल्कि अपने ही बीच के कुछ अतिबुद्धिजीवी कर्मचारियों द्वारा पद का दुरूपयोग, वर्चस्व की लडाई, आपसी द्वेष व दूसरे की अपेक्षा अपने को प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए अपने साथियों के लिए ही खड़ी कर दी जाती हैं। दीवानी कर्मचारी आपस में ही अपने आप को प्रभावशाली सिद्ध करने व एकाधिकार कायम रखने की होड़ जैसी गम्भीर समस्याओं से ग्रसित हैं। द्वेष भावना, पदों का दुरूपयोग, किसी विशेष कोर्ट में किसी पद पर वर्षों से एकाधिकार और अपने ही साथी कर्मचारियों का शोषण करने जैसी व्यथित कर देने वाले तमाम निंदनीय उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसी समस्याओं से हम सभी भली भांति परिचित हैं।

जनपद न्यायालय के कर्मचारियों में "कर्मचारी एकता" के स्थान पर "स्वार्थपरकता" का चलन बढ़ता जा रहा है। "स्वार्थपरकता" जनपद स्तर पर "कर्मचारी एकता" में सबसे बड़ा बाधक बनकर हम सभी के समक्ष कुटिलता के साथ खड़ा है। हम सभी कर्मचारियों को अपनी मानसिकता में अच्छे से घोल लेना चाहिए कि हम सब आपस में एक परिवार जैसे हैं जाति-पाति, धर्म-मजहब चाहे जो भी हो लेकिन न्यायालय में प्रवेश करने के बाद हम सभी केवल "न्यायकर्मी" है, हम सभी का धर्म "न्याय" है और न्यायिक कार्यों को सुगमता से संपादित करवाना हम सभी का कर्तव्य। जब तक जनपद न्यायालय के प्रत्येक कर्मचारियों के अर्न्तमन में ऐसी भावना विकसित नहीं होगी तब तक न्यायकर्मी ऐसी तमाम छोटी-छोटी समस्याओं से जूझते रहेंगे जो उन्हे कभी होनी ही नही चाहिए थी। हम सभी को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि किसी भी साथी कर्मचारी के कार्य में सहभागी बनने की चेष्टा करेगें, बाधक बनने की नही।

जब किसी जनपद का कोई कर्मचारी कहता है कि "कचेहरी का माहौल बहुत खराब है" तो अनायास ही एक शब्द दिमाग पर कौंध जाता है कि आखिर ये खराब माहौल बनाने लोग कहां से आते हैं ? आखिर ये माहौल हमसे और आप से ही तो बनता है ! तनिक विचार कीजिए अगर हम में से हर एक व्यक्ति आपसी सदभाव और सहयोग की भावना को जागृत कर ले और अपने-अपने हिस्से की नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू कर दे तब माहौल कैसा होगा ? हम और आप

अगर अपने साथी कर्मचारी के किसी समस्या का समाधान नही बन सकते तो किसी साथी की समस्या का कारण भी न बनकर आपसी सहयोग की मिसाल बना सकते हैं, साथ ही दीवानी न्यायालय कर्मचारियों की सेवा के मुश्किल सफर को काफी हद तक सहज व सरल कर सकते हैं।

आपसी मतभेदों से होने वाली समस्याओं से उपर उठ कर देखें तो वैसे भी न्यायकर्मियों पर समस्याओं का अम्बार है जिसका विस्तार जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी को स्पष्ट है। जिला एवं प्रदेश स्तर की अन्य समस्याओं का भी निराकरण तभी सम्भव है जब हम सभी आपसी मतभेदों को भूलकर, सहयोग की भावना आपस में संगठित होकर अपने जिले की यूनियन और प्रदेश संघ के साथ मजबूती से कदम से कदम मिलाकर चलेगें।

याद रखिए संगठन की शक्ति ही सर्वोत्कृष्ट शक्ति है जब तक व्यक्ति किसी समुदाय या संगठन में रहता है तभी तक उसका अस्तित्व है संगठन के बाहर होने पर व्यक्ति का पतन निश्चित है। संगठन की शक्ति में ही "कर्मचारी एकता" और "कर्मचारी हित" जैसे शब्द निहित हैं। हमेशा याद रखिए "एकता का दुर्ग इतना सुरक्षित होता है कि इसके भीतर रहने वाले कभी भी दुःखी नही होते हैं।"

इसलिए आपसी प्रेम को जागृत कीजिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए।

कर्मचारी एकता जिन्दाबाद।

जय संघ !

(भागवत शुक्ल)

प्रांतीय संयुक्त सचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, (उ0प्र0)

समस्याओं से घिरा न्यायिक कर्मचारी .....

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से सम्बन्धित अन्य विभागों के समान ही न्याय विभाग में भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करते है। परन्तु जितनी समस्याओं का सामना न्याय विभाग के कर्मचारियों को करना पड़ता है शायद उतनी समस्याओं से अन्य विभाग के कर्मचारियों को नही गुजरना पड़ता है। न्याय विभाग के कर्मचारियों के कार्य करने की समयावधि वैसे तो अन्य विभागों के समान ही पहले से तय होती है परन्तु वास्तविक धरातल पर न्यायविभाग के कर्मचारियों के न तो आफिस आने का कोई समय है और न ही आफिस से घर लौटने की कोई निर्धारित समय सीमा। कार्य के बोझ की अधिकता के कारण कर्मचारियों के जीवन का अधिकांश समय अपने कार्य के सुचारू संपादन में ही व्यतीत हो जाता है जिस कारण से न्यायालय कर्मचारी अपने सामाजिक जीवन (पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं रिश्तेदारियों) से पूरी तरह कट जाते है। इतनी मानसिक तथा अन्य जिम्मेदारियों के कारण न्यायालय कर्मचारी पूरी तरह से टूट कर अवसाद से ग्रसित होते जा रहे है। न्याय विभाग द्वारा कर्मचारियों के हितार्थ बनाये गये नियमों की वास्तविक जीवन में प्रतिदिन धज्जियाँ उड़ायी जा रही है चाहे प्रति कर्मचारी हेतु निर्धारित कार्य की समयावधि हो, निर्धारित कार्य की जिम्मेदारियाँ हो, वेतन से संबंधित विभिन्न कमेटियों की सिफारिशें लागू करना हो, कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जनपद से अत्यधिक दूर होने के कारण पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में आने वाली कठिनाईयाँ हो, कर्मचारियों को उनके पद से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त प्रभार देकर मानसिक प्रताड़ना देना आदि समस्यायें होना। न्याय विभाग की इन समस्याओं के निराकरण हेतू पूर्व में कई बार कमेटियों का गठन किया गया परन्तु इन कमेटियों द्वारा जिन सुधारों की सिफारिशें की गई उनमें से अधिकारियों से सम्बन्धित सिफारिशों का अनुपालन तो हो गया परन्तु कर्मचारियों की स्थित ज्यों कि त्यों बनी हुई है। एक के बाद एक दो कमेटियों की संस्तुतियां हो चुकी है जिनमें शेट्टी कमीशन एवं रेड्डी कमीशन दो प्रमुख है जिनकी अधिकारियों हेतु संस्तुतियां लागु हो चुकी है परन्तु कर्मचारियों हेतु अभी तक प्रथम कमीशन जो शेट्टी कमीशन है कि संस्तुतियों को लागु कराने में न्यायालय में मुकदमेंबाजी तक की स्थितियां बन गयी है परन्तु अभी न जाने कितना विलम्ब अभी बाकी है।

इन विपरीत परिस्थियों के बाद भी न्याय विभाग के कर्मचारी निरन्तर अथक प्रयास और जिम्मेदारियों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते चले जा रहे है। मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में न्यायालय कर्मचारियों की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के अथक प्रयासों द्वारा किया जायेगा और अन्य विभागों के समान ही न्याय विभाग के कर्मचारियों का जीवन सुगम बनाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर सकेंगे।

(विजय बहादुर सिंह)
वरिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, औरैया
सम्बद्ध : मा० उच्च न्यायालय,
लखनऊ खण्डपीठ

घर को जाते हैं .....

बदन में लपेट कर थकन घर को जाते हैं ।
रौंद के अपने सारे सपन घर को जाते हैं ।।

इतना दिन भर रुला देते हैं जमाने वाले।
हर शाम ओढ कर कफन घर को जाते हैं ।।

मेरे चेहरे में मेरा दर्द न पहचान लें मेरे बच्चे।
छुपाकर अपनें सब ज़खम घर को जाते हैं ।।

करुँ कोशिशें कितनी जरूरतें पूरी नहीं होतीं।
भर के आँखों में शरम घर को जाते हैं ।।

जिस्म छोड़ देता है जब साथ ज़हन का।
खुदपर ही करते हैं रहम घर को जाते हैं।।

एक बस उसी नन्हीं मुस्कान की खातिर।
कितना करते हैं जतन घर को जाते हैं ।।

रहमत होगी इक दिन बस इसी उम्मीद पे।
'केवल' करते हैं करम घर को जाते हैं ।।

(अमित मिश्र 'केवल')
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ

गज़ल

आज की रात फिर हंसी ख्वाब दिखाया उसने।
पहले तो हंसाया फिर रूलाया उसने।।
हजारों हसरते कब से थी दिल में मेरे।
कुछ को बहलाया, कुछ को टाल दिया उसने।।
वो मेरे जज्बातों से दिल्लगी करती रही।
न कुछ कहा और ना कुछ कहने दिया उसने।।
मैं अपना दर्द बयां करता रहा रात भर।
न कुछ सुना और ना कुछ सुनाया उसने।।
रात भर आगोश में रही वो मेरे "शैलेन्द्र"।
चाँद डूबा तो फिर रूला दिया उसने।।

(शैलेन्द्र कुमार चौधरी)
सेवानिवृत पेशकार
जनपद न्यायालय, उन्नाव
पूर्व कार्यकारिणी सदस्य
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

पुस्तक और पुस्तकालय

पड़े है पत्तो से सभी शब्द।
समझ से परे है, उड़ जाते ।।
हजारो वर्षों का इतिहास।
पड़े पड़े ही सड़ जाते ।।

संजो कर इन शब्दों को।
पन्ने हो गये काले।।
बची कहा है इन शहरों में।
कोई भी जीवित पुस्तकालय।।

(मारुति कुमार)
वरिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, वाराणसी

नारी : सृष्टि का आधार

सिर्फ चंचलता की लहर नही, तू दृढ़ता का आगाज़ है।
सिर्फ अबला की मूरत नही, तू जीवन का एक राग है।।

तू है स्नेह की परिभाषा, तू ममता का सार है।
जो यमराज को भी झुका दे, तू सावित्री का वो प्यार है।।

जो बसे हृदय में नारायण के, तू उस नर की नारायणी है।
जो लगे अधूरे बिना तेरे, तू उस शिव की अर्धांगिनी है।।

तू है दुनिया की आधी आबादी, तू जीवन का आधार है।
तू कदम बढ़ा हिम्मत दिखा, ये दुनिया खड़ी तेरे साथ है।

जो जकड़ सके तेरे पैरों को, वो जंजीर ना अब तक बन पायी।
तेरे आंचल की छांव में, ये धरती ही तो लहराई।

तू लगा जोर दिखला दे सबको, तुझमें भी एक आग है।
तू थके नही तू रूके नही, तू खुद में एक विश्वास है।

तू खुद में एक विश्वास है।
तू खुद में एक विश्वास है।।

(निशा तिवारी)
कनिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर

नारी : जग–स्रष्टा या अबला

ज़हनियत-ए-इंसान जहन्नुम इस कदर है।
अस्मतें लुट रही, हैवानियत का कहर है।।
इंसान ही जानवर बन खा रहा इंसानी मांस।
कानून अंधा हो चुका, हैवानों का ही डर है।।

मामले दबाए जा रहे आधी रात को।
लाशें जलाई जा रहीं आधी रात को।।
सरकार बनी हुई है उन दरिंदों की ढाल।
जिन्हें गोली मारना चाहिए था आधी रात को।।

इस जहां की जग–स्रष्टा होती है नारी।
बड़ी मुश्किलों पर सब्र से पड़ती है भारी।।
इंसानियत तिल तिल मर रही "काफ़िर"।
जब जग–स्रष्टा ही कोख में जाती है मारी।।

ये समाज उनका हक न जाने कब देगा।
सब्र मर गया, रूह में तपन बेसबर है।।
ज़हनियत-ए-इंसान जहन्नुम इस कदर है।
कानून अंधा हो चुका, हैवानों का ही डर है।।

(उमेश चन्द्र जायसवाल ''काफिर'')
कनिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्ती

अधिकार और कर्तव्य

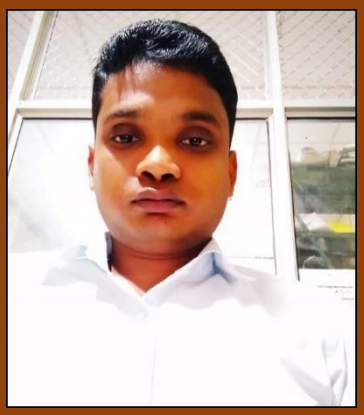

मौन ही रहो सदा, कर्त्तव्य ही करो सदा।
मांग कुछ करो नहीं, पर मांग ही भरो सदा।।
न ध्यान धर अधिकार का, वह तेरा विपक्ष है।
सत्ता-पक्ष "मैं" हूँ, शेष सब समक्ष है।।
जो समक्ष शेष है, भी शेष में विशेष है।
है विशेष में अवशेष जो, वह अवशेष तेरा शेष है।।

(सुनील कुमार "सौरभ")
वरिष्ठ सहायक
जिला न्यायालय, बाराबंकी

बेबसी का दौर....

किस दौर पर आ गए है, किस मोड़ पर आ गए है,
टूटी हुई कस्ती जैसे, सब छोर के आ गए है,
सड़ती हुई लाशे देख, जो गिद्ध चले आते थे,
वो गिद्ध भी न जाने, किस ओर चले गए है,
किस दौर पर आ गए है, किस मोड़ पर आ गए है,
सुनी पड़ी है सड़के, सूना है घर का आंगन,
हर आंख पड़ी हुई नम, हर सांस हो गई तंग
जीने को तरस रहे है दर दर को भटक रहे है,
सांसे तो ले रहे पर हर सांस में डर रहे है
किस दौर पर आ गए हैं किस मोड़ पर आ गए हैं
टूटी हुई कस्ती जैसे सब छोर के आ गए है...

(विवेक कुमार)
वरिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, अमेठी
सम्बद्धः मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बस आ जाना...

सुनो! किंचित भी, भ्रमित न होना तुम
मैंने तुम्हें, हृदय में प्रवेश की, स्वीकृति दे दी है।
जब आओ ले आना गुलाब नहीं मुझे फूलों को तोड़ना पसन्द नहीं है
उनका पत्तों से डाली से जुदा होना नहीं भाता मुझको।
मुझे वो वहीं बेहद खूबसूरत, लुभावने और सुशोभित लगते हैं
किसी के लिए उनका अलग होना
अपनी अस्मिता से मुझे किंचित नहीं भाता।
हाँ अगर लाओ कुछ ऐसा लाना जिससे तुम्हें कागज़ पर
उकेर सकूं मैं खोलकर रख सकूं मन की हर व्यथा
हर खुशी, हर दर्द हर उमंग को भर सकूं उड़ान
तुम तक जो पहुंचती हो।
हाँ अगर लाओ तो ले आना कुछ ऐसा जिसे तन से लपेट सकूं
तुम्हारे होने का एहसास करा पाये जो।
ले आना कुछ उन आँखों के लिए जो लुभाती हैं तुम्हें
जो जागती हैं तुम्हारे लिए सर्वस्व न्यौछावर किये
तुम्हारे आने की बाट जोहती हैं।
अगर आओ ले आना कुछ उस हृदय को सुकून दे जो
सुनो! बस तुम आ जाना अवल धवल सा प्रेम लिए निष्कपट,
निश्छलता, निर्मलता लिए भले कुछ मत लाना पर आना
मेरे होने के लिए एहसास भरे आलिंगन से
मुझको कृतज्ञ करने के लिए
बस आ ही जाना
आ ही जाना
आ ही जाना
सुनो! बस अब आ जाना।

(लवकुश सरोज)
आशुलिपिक
जनपद न्यायालय, बहराइच

कचेहरी का बाबू

(मारुति कुमार)
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, वाराणसी

मरता रहता, दिर भर करता, जाड़ा, बरसात और गर्मी में,
फिर भी है नकारा बाबू, भीड़ से भरी कचेहरी में।
ना कोई काम, ना कोई धाम नागरिकों के नजर में
हाथ में फाइल, सिर पर शिकन लिये घूमें पूरी कचेहरी में
हाथ मिलाते काम में बातें, अपने-अपने स्वार्थ में
हाथ भी छोड़ना शामिल इनकी बिगड़ी बात में।
बहुत बड़ी इस भीड़ में शामिल बाबू बड़ा अकेला है
अगर कोई अनहोनी होती सब उसके लिये मेला है
न्याय किसी का कैसा भी हो संरक्षक दरबारी है
कही कभी भी चूक हुई तो दरबारी पर भारी है
जान लगा दे बाबू, अपनी जान पर बन तो आनी है
जैसे-तैसे कट रहा है, बाबू की यही कहानी है।

क्या निराश हो ? क्यों छोड़ते आस हो ?

(गौरव तांगड़ी)
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, कानपुर नगर

दिन कठिन है, रात भारी, कठिन पीड़ा, कष्टकारी।
साँस भी एक आस बनकर, कर रही विनती बेचारी।
बिक रहा जल, रक्त था अब, आ गई, हवा की बारी।
प्रकृति क्या विमुख हुई है, साथ हैं सब, मन है भारी।
पर निराशा त्याग कर, मन में अडिग विश्वास भर।
बंद करो व्यर्थ अलाप डर, आ जाओ हर्षोल्लास भर।
रसयुक्त जीवन ढूंढ लो, नीरस में भी रस ढूंढ लो।
सब ख़ुशनुमा हो जाएगा, तुम अपनी खुशियाँ ढूंढ लो।

कैसी अजब कहानी अपनी

कैसी अजब कहानी अपनी, कुछ कहनी सी कुछ अनकहनी
सुबह की अर्ध निमीलित आँखें, दफ़्तर की राहें हैं ताकें
करना रोज रोज ही काम, चाहें शीत हो चाहें घाम
कभी कठिन सी कभी सरल सी, कभी अनिल के झंझानिल सी
कैसी अजब कहानी अपनी, कुछ कहनी सी कुछ अनकहनी

यहां फाइलों के पर्वत पे, बड़ी कठिन चढ़ाई चढ़नी
वैसे तो सब साथ साथ है, पर मुश्किल के भंवरजाल में
अपनी करनी पार उतरनी, कोर्ट कचहरी दुर्गम वन में
प्रतिदिन पार करे वैतरणी, कैसी अजब कहानी अपनी
कुछ कहनी सी कुछ अनकहनी

भाग दौड़ और ऊहापोह में, समय का चक्का चलता जाता
काम काज के वियावान में, रिश्तों का अपक्षालन होता
काम काम बस काम काम मे, गिन गिन काटें दिन और रजनी
कैसी अजब कहानी अपनी, कुछ कहनी सी कुछ अनकहनी ।

(अविनाश शुक्ल)
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, अमेठी
सम्बद्धः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बचपन, बारिश और अब

बारिश के महिने का मजा ही कुछ और है।
टप- टप पड़ती बूँदो का मजा ही कुछ और है।।
याद करो बचपन के ओ पुराने दिन,
जब स्कूल से लौटते समय, बारिश में भीगते हुए आया करते थे।।
माँ जब डाँट के पूछती थी, रेनकोट क्या किए,
माँ से झूठ बोलते और बहाने बनाया करते थे।।
माँ-बाप के उस डाँट में भी प्यार हुआ करता था अगली बार मत भीगना बस यही दुलार हुआ करता था।।
ना तो कोई डर थी सर्दी जुखाम की
भीगते हुए बात भी हो जाती थी, अपने दिल के राज की।।
बस्ता भीगने न पाए बस डर यही सताता था
क्योंकि उसमे माँ शारदे का वास होता था।।
अब तो बड़े हो गए पर शरारती मन नही मानता है
घनघोर बादल देखकर, मन मचल मचल जाता है।।
घनघोर बादलों के बीच जब आफिस आते-जाते है हम
छाता साथ होता है, पर आधे भीग जाते है हम।।
लेकिन क्या करू ऐ दोस्त, अब भीगते हैं तो सर्दी लग जाती है
स्वास्थ्य खराब होता है और छुट्टी भी लगानी पड़ जाती है।।
परन्तु अब भी जब, घनघोर बादल छाते है
क्यों ना थोड़ा ही सही बारिश का मजा उठाते है।।
आधे अधूरे भीगने का मजा ही कुछ और है
बारिश के महिने का मजा ही कुछ और है।।

(भवानी प्रसाद तिवारी 'मोहन')
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, महराजगंज

जो हुआ अच्छा हुआ

जिंदगी हमेशा चलती रहती है। जीवन में यदि कोई चीज स्थिर है तो वह बदलाव है। जिंदगी का हर एक पल बदलता रहता है। फिर चाहे उन पलो में आप नए घर भी जा सकते हो। नयी जगह भी जा सकते हो। नया जहृब भी हासिल कर सकते हो। नयी कार भी खरीद सकते हो। शादी या तलाख भी कर सकते हो। बच्चे को जन्म भी दे सकते हो। आर्थिक लाभ या हानि भी हो सकती है और कुछ भी बदलाव हो सकते है। ये सब कुछ हम सभी के जीवन में होता है। हमारे जीवन का ये एक प्राकृतिक भाग है। कभी-कभी बदलाव हमारे लिये अच्छा भी हो सकते है और कभी-कभी हमारे विरूद्ध भी हो सकते है। लोग बदलाव को जिंदगी की सबसे बड़ी चीज मानते है। क्योकि बदलाव हम में से हर किसी के जीवन में होता ही है।

इस दुनिया में चीजे कभी एक जैसी नही रहती। वे लगातार बदलती रहती है। इंसानी विचारो की तरह इस दुनिया में चीजे भी बदलती रहती है। बदलाव को रोकने के फिर चाहे आप कितने की प्रयास क्यों न कर लो। बदलाव यदि होना है तो आप उसे होने से नहीं रोक सकते। जिंदगी में होने वाले बदलावों को आप नहीं रोक सकते। बदलाव जीवन का ही एक प्राकृतिक भाग है। हमें बदलाव को बिना किसी विरोध के अपनाना चाहिये। साधारणतः सामान्य लोगो को बदलाव से काफी डर लगता है। क्योकि उन्हें इस बात का डर होता है की कही बदलाव से वे विपरीत परिस्थितियों में न फास जाये। या फिर कही वह अपनी वर्तमान सफलता न खो बैठे।

यह सिद्ध हो चूका है की किसी के भी खिलाफ लड़ने से वह आपको और ज्यादा खराब बनाते है। बदलाव हमेशा अलग-अलग नही होते। जब आप बदलाव का सामना करते हो तो उस से आपको गुस्सा, अशांति, दर्द, चिंता और तकलीफ हो सकती है क्योकि उस समय आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती रहती है।

इसीलिए आनंदमय जीवन जीने के लिये आपको यह सलाह देना चाहूँगा की जीवन में बदलाव को खुशी से अपनाये। अपनी महत्वपूर्ण उर्जा को गुस्सा करने में चिंता करने में या लड़ने में व्यर्थ न करे। बल्कि अपनी उर्जा को अच्छी आदतों में लगाये।

यदि बदलाव से आपका कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ज्यादा चिंतित मत होइए क्योकि शारीरिक और मानसिक नुकसान की तुलना में आर्थिक नुकसान काफी छोटा होता है। यहाँ मै आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप बदलाव से होने वाले इन नुकसानों से बच सकते हो।

बदलाव को अपने विकास का अवसर समझे उसे विकास के नजरिये से देखे और उसे हसी-खुशी अपनाये। नयी परिस्थितियों का, नयी चुनौतियों का हमेशा स्वागत करे। आपमें सच का सामना करने की और उसे सुनने की आदत होनी चाहिये। तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। बदलाव के इस अवसर को आपके कल्याण के लिये भगवान् द्वारा भेजा गया पुरस्कार समझिये। आपको हमेशा यह याद रहना चाहिये की भगवान् हमेशा आपके लिये अच्छा ही चाहता है और हमेशा आपका ध्यान रखता है। स्वर्ग में बैठा वह आपके पिता समान है।

इसीलिए उनके द्वारा भेजे गए अवसरों के रास्तो पर चलते हुए आप कभी गलत मार्ग पर नही जा सकते। इसीलिए जीवन में बदलाव को आसानी से अपनाये। हमेशा याद रखे की हर नकारात्मक परिस्थिति भविष्य में आपके लिये सकारात्मकता के बीज बोये रखती है। यदि आपने कोई पुराणी चीज खो डी है तो डरिये मत भविष्य में आपको उस से भी अच्छी चीज मिल सकती है। यदि आप बदलाव को चुनौतियों और अवसर की तरह स्वीकार करो तो आपका जीवन समृद्ध जीवन बन सकता है।

बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने पिछले 150 सालो का है। पिछले 150 सालो में तेजी से देश में बदलाव हुए है और देश का विकास हुआ है और ये बदलाव आज भी चलता जा रहा है। आप भी बदलाव की इसी दुनिया में रहते हो इसलिए आपको सहज ही इसे अपनाना चाहिये।

(सौरभ श्रीवास्तव)
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, कासगंज
सम्बद्धः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

मैं हर बार गिरा और संभलता रहा

मैं हर बार गिरा और सम्भलता रहा,
दौर खुदा की रहमतों का चलता रहा,

वक़्त भले ही मेरे विपरीत था,
मैं ना जरा सा भी भयभीत था,
मुझे यकीन था की एक दिन
सूरज जरूर निकलेगा,
क्या हुआ जो वो हर रोज ढलता रहा,
मैं हर बार गिरा और सम्भलता रहा,

जब भी हुआ है दीपक में तेल खत्म,
तो समझो हो गया खेल खत्म,
निचोड़ कर खून रगों का इसमें,
मैं एक दीपक की भाँति जलता रहा,
मैं हर बार गिरा और सम्भलता रहा,

झिलमिल से ख्वाब थे इन निगाहों में,
करता रहा मेंहनत माँ की दुआओं में,
सींचता रहा परिश्रम के पौधे को दिन रात,
और ये पौधा सफलता के पेड़ में बदलता रहा,
मैं हर बार गिरा और सम्भलता रहा,

ये सब तुम्हारी सबकी दुआओं का असर है,
जो मिली आज इतनी सुहानी डगर है,
तह दिल से शुक्रिया मेरे चाहने वालों,
आज मेरी किस्मत का सिक्का उछलता रहा,
मैं हर बार गिरा और सम्भलता रहा,
दौर खुदा की रहमतों का चलता रहा।

(ऋषि यादव)
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद

दिन याद है मुझे वो ....

दिन याद है मुझे वो, जब नौकरी का ज्वाइनिंग लैटर आया था।
कई बार पढ़ा मैने और ! पढ़कर घरवालों को सुनाया था।
एक अलग ही उमंग थी दिल में,
चेहरे पर अलग ही नशा-सा छाया था।
खुशी-खुशी घर से निकले, अब करियर अपना बनाने को।
घर को ही हम छोड़ चले, घर को खुशियों से सजाने को।
मन थोड़ा उदास हुआ, पर रुक न सका घर से जाने को।
अगली सुबह जब पहुंचे ऑफिस, जहाँ ज्वाइनिंग होनी थी।
बड़ी गौर से देखा उसको, जहाँ जिन्दगी जीनी थी।
देखा सबको बड़े प्यार से, सहकर्मी इनका हो जाऊँगा
घर वालों को दूर छोड़, इनके ही संग रह जाऊँगा।
नया-नया ऑफिस था मेरा, नये-नये सब साथी थे।
कुछ दिन तो पहचान में बीते, कुछ बीतने बाकी थे।
लम्बा अरसा बीत चुका जब, घर की याद फिर आयी थी।
घर जाने को दिवस पाँच की, छुट्टी की अर्जी लगायी थी।
न मंजूर करी वो अर्जी ! अब न चलती मेरी मर्जी !
फोन से बस बात करूँ अब, घरवालों से दूर रहूँ अब,
जाने मिलेंगे अपने अब कब।
नौकरी अच्छी होती है, ये तो मैं जानता था।
पर घर मेरा ऐसे छुटेगा, ये कहाँ तब जानता था
अच्छी नोकरी अच्छी सेलरी ! पर घर अपना बड़ी दूर हुआ।
जो भाई हमेशा लड़ता था, अब मिलने को मजबूर हुआ।
ग़र नौकरी ऐसी होती है, तो क्यूँ मानुष ये करता है।
क्यूँ न घर पर कोई काम करे, क्यूँ पैसे के पीछे भगता है।
ये सब मेरे मन में आया, फिर टेबल पर आयी फाइल।
काम करो और मन को मारो, ये समझाती मुझको फाइल।
नहीं करी जो नौकरी तो, कैसे जीवन जी पाऊँगा।
जीने के लिए भी पैसा चाहिए, ये समझाती मुझको फाइल।।

(योगेश कुमार 'योगी')
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बदायूँ

अहंकार पर स्वाभिमान की जीत

आँख खुलते ही राम आसरे ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के छः बज रहे थे। उसने पत्नी को आवाज दी और उसके आते ही बोला - आज मुझे सुबह पाँच बजे क्यों नही जगाया ? आप देर रात आये थे इसलिये नही जगाया। पत्नी ने जबाब दिया और दोनो बेटियो को स्कूल भेजने के लिये तैयार करने में व्यस्त हो गयी। रामआसरे ने फटाफट तैयार होने के लिये बाथरूम का रूख किया।

दो कमरों के जर्जर से सरकारी कवार्टर में अस्त-व्यस्त पड़े सामान को उसकी पत्नी करीने से जमा रही थी। वो फुर्ती में अपनी हल्की पीली पड़ी हुई सफेद यूनिफार्म को पहन रहा था ये सोचते हुए कि अगर आज समय से जज साहब के बंगले पर न पहुँचा तो साहब न्यायालय जाते ही उसको गैरहाजिर करने के साथ-साथ दो पेज का नोटिस थमा देगें।

इतना सोंचते-सोंचते उसे अचानक याद आया कि जज साहब कहे थे कि कल सुबह छः बजे आकर बंगले की बगिया में पानी लग जाये चूँकि उसे पता था कि आज अगर नोटिस मिल गया या गैरहाजिरी लग गई तो हजारों दफा हाथ-पैर जोड़कर हमेशा की तरफ न जाने कितनी बार मिन्नते करनी पड़ेंगी।

इतना सोंचते-सोंचते उसकी पत्नी की आवाज उसके कानो में पड़ी की सोनू-मोनू नया बस्ता (स्कूल बैग) माँग रहे हैं। उसी बीच उसका ध्यान टूटा तब पत्नी बोली कहा गुम रहते हो ? दो साल से आपने उन्हे नया बस्ता और यूनीफॉर्म नही दिलाया है। तब रामआसरे ने बोला मैं क्या करूं ? अभी पिछले महीने तीस हजार रूपये बाबा की आँख के आपरेशन में खर्च हो गये थे। जितनी जमापूँजी थी सब खर्च हो गये हैं, अब अगले वेतन मिलने पर दिला दूँगा ! ये कहते हुए बिना नाश्ता किये हुए रामआसरे घर से साहब की बंगले की ओर निकल दिया। साइकिल के पैडल पर पैर रखते हुए दिमाग में हिसाब-किताब लगाते गुम सा वो गलती से न्यायालय की ओर पहुंच गया। फिर एकाएक याद आया कि पहले साहब के बंगले जाना था, मैं दिमाग कहीं और था इसिलिये गलती से इधर आ लिया ! अब डर की सीमा पराकाष्ठा पर थी, बंगले की ओर तेजी से बढ़ा और जाते-जाते दिमाग में ये डर था कि साहब के बंगले पर छः बजे सुबह ही पहुंच जाना था और बगिया में पानी लगाना था और घर से आते-आते ही सात बज चुके थे। अब साहब न जाने उसका क्या हाल करेगें।

इसी उधेड़बुन में वह साहब के बंगले पहुँचा। जहाँ जज साहब गुस्से से तमतमाये हुये बैठे थे। जाते ही साहब ने चिल्लाना शुरू किया तुझे छः बजे बुलाया और तू सात बजे आया अब तेरी खबर लेता हूँ! साहब को इतना गुस्से में देख रामआसरे चुपचाप सहमा-सा बड़ा उनकी डाँट खाता रहा। लगभग दस-पंद्रह मिनट तक चिल्लाने के बाद साहब ने उससे कहा पहले तू बगिया में पानी लगायेगा उसके बाद मेरे लिये चाय बनायेगा उसके बाद मेरे कपड़े धोयेगा और से सब करने के बाद जूते पॉलिश करेगा।

जज साहब को ये रवैया देखकर राम आसरे मन ही मन स्वयं में बहुत लाचार महसूस कर रहा था कि क्या ये दिन देखने के लिये चपरासी बना था ? साहब को इन सब कामों को करवाने हेतु नौकर

रखने के लिये अलग से भत्ते मिलते हैं, फिर साहब कैम्प कार्यालय के नाम पर घर बुलाकर ये सब काम क्यूं करवाते हैं ?

राम आसरे का एक तरफ मन किया कि सब कुछ छोड-छाड़ के चला जाए फिर एकाएक उसे अपने बूढ़े माँ-बाप के दवाई, बच्चों के पढ़ाई और घर की छत से टपकता हुआ वो पानी याद आया तो चुपचाप अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान को अपने आप से ही कुचलकर चुपचाप बुझे हुये मन से काम करने में लग गया।

सारा काम खत्म करने के बाद जब जूते पॉलिश करने की बारी आयी तो उसके मन में एक बात आई! उसने सोंचा कि क्यों न जूते को बाजार जाकर पॉलिश करा लिया जाये। इसी विचार को मन में लिये उसने जूते को झोले में डाला और अपनी साइकिल उठाई.... बाजार की ओर निकल पड़ा। साहब के इस रवैये से रामआसरे बहुत आहत था, मन ही मन में अपने आप में हीन और मानसिक तौर पर बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, अचानक यही सोचते-सोचते उसके सामने अँधेरा सा छा गया .....।

पन्द्रह दिन बाद जब उसकी आँखे खुली तो उसने पाया कि उसके बूढ़े माँ-बाप, उसके दोनो मासूम बेटियाँ और उसकी पत्नी पास में खड़ी थी। सभी की आँखों से अविरल अश्रुधारा निकल रही थी। तभी नर्स ने आकर पूछा कि अब कैसा महसूस कर रहे हो ??? आपको पूरे पन्द्रह दिन बाद होश आया है। शुक्र है भगवान का कि उसने आपको बचा लिया। वरना उस बस दुर्घटना में तो आपके बचने की कोई उम्मीद ही ना थी। राम आसरे ने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो सामने खड़ी होकर सुबक रही थी उसके गले में जो पतली सी चेन हुआ करती थी वह अब गले से नदारद थी।

राम आसरे को नया जीवन मिल चुका था उसकी आँखों के सामने आँखों में अपने स्वाभिमान और आत्म सम्मान का दीप जल उठा, 28 वर्ष की उम्र में अपने जीवन के लक्ष्य के पथ पर दोबारा बढ़ने का निश्चय किया। अपनी बेटियों की पढ़ाई, माँ-बाप की दवाइयों और परिवार के भरण पोषण हेतु उसने परिश्रम करके ट्यूशन इत्यादि पढ़ा कर जीविका और अपने सपने दोनो को पूरा करने की ठानी और अंततः एक दिन वो भी आया जब राम आसरे साहब बन गया। साहब बनने के बाद राम आसरे अपने कार्यालय के समस्त छोटे से बड़े कर्मचारी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को भली भांति समझता था और ऐसा कोई कार्य नही करता था जिससे किसी कर्मचारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। राम आसरे अपने को एक कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, नैतिक, प्रतिष्ठित, लोकप्रिय और आदर्श अधिकारी के रूप में स्वयं को स्थापित किया।

(नूर जहाँ)
असिस्टेंट नाजिर
जनपद न्यायालय, जालौन

शासन द्वारा अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारियों की उपेक्षा कब तक ?

अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो व्यथित भारतीय नागरिकों को न्याय दिलवाने की प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परन्तु कोरोना काल में न्यायिक कर्मचारियों की शासन द्वारा जिस तरह अनदेखी की गयी है उससे विदित है अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक कर्मचारी प्रदेश सरकार के लिये कोई अहमियत नही रखते हैं। चिकित्सा सम्बन्धित सुविधाओं से लेकर दिवगंत कर्मचारियों को अनुग्रह राशि अथवा अन्य लाभों में न्यायिक कर्मचारियों का जिक्र तक ना होना तथा शासकीय कार्यों को सम्पादित करने के दौरान मिले संक्रमण से संक्रमित होकर दिवंगत होने पर राज्य सरकार के किसी जिम्मेदार जनसेवक द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के लिये संवेदना के एक शब्द तक न निकलना शासन द्वारा न्यायिक कर्मचारीगण की उपेक्षा और पक्षपात पूर्ण व्यवहार को स्पष्ट रूप से दर्शातें है।

अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारीगण के लिये ये कोई नई बात नही है इससे पहले भी न्यायकर्मी शासन द्वारा सदैव उपेक्षित रहे हैं। चाहे वो वेतन विसंगति सम्बन्धित समस्याएं हो अथवा कार्यभार आकलन समितियों की सिफारिशों को लागू करने का मुद्दा रहा हो अथवा न्यायिक कर्मचारियों के हित में किसी नये सुधार सम्बन्धित कमीशन को लागू करने का मुद्दा रहा हो। शासन ने हमेशा न्यायकर्मियों को उनका हक देने के प्रति उदासीन रवैया ही अपनाया है। परन्तु कोरोना काल में जिस तरह से न्यायकर्मियों की उपेक्षा की गयी है वो मानवीय संवेदनाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए उपेक्षा की पराकाष्ठा थी। यदि भविष्य में भी इसी तरह शासन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की निरन्तर उपेक्षा की जाती रही तो शासन के प्रति न्यायकर्मियों में रोष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। शासन को संविधान में उल्लिखित समता के सवैंधानिक अधिकार का मान रखते हुए अन्य विभाग को मिलने वाले लाभों व सुविधाओं के वितरण में न्यायिक कर्मचारियों की अनदेखी ना करें। हम न्यायिक कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रदत्त मूल भूत सुविधाएं मिलना हमारा संवैधानिक अधिकार है।

(राज कुमार खरवार)

कनिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, बांदा

सम्बद्धः माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ

गर जवान मैं होता

गर जवान मैं होता, ले जंगी हथियारों सी हो
सीमा पर मैं था डट जाता
रक्तधार की अमृत से, माँ तेरा कर्ज चुकाता
गर जवान मैं होता, सीमा पर डट जाता
दुश्मन हो कोई भी, छक्के उसके छुड़ाता
माँ तेरी करता रक्षा में, प्राणों की बलि भी चढ़ता
गर जवान मैं होता, रणभूमि की रण भेरी पे
दुश्मन को हद दिखलाता, माँ तेरी सेवा कर
मैं तेरा कर्ज चुकाता, गर जवान मैं होता .....
है वो जवान तकदीखान, जो सेवा में तेरे लीन
माँ तेरी सेवा से वंचित, मेरा मन है अतिगमगीन
नही ठहरता पल भर, दुश्मन कोई भी होता
माँ तेरा कर्ज चुकाता, गर जवान मैं होता।।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रकीर्ण लिपिक
जनपद न्यायालय, बस्ती

लुट के आया हूं,कूचाये यार से, फिर भी हसरत है उसके दीदार के...
बस में था वरना न जाने क्या कर आता,
जो बात छुपी थी दिल में मेरे, वो भी मैं कह आता,
एक रोज मुझे ये भी कर जाना है,
ख्वाबों की महफ़िल में उसको बुलाना हैं,
वो दिन भी मुझसे दूर नहीं,
जाके किसी के ख्वाबों में बस जाना है।

(क़ायम मेंहदी)
जनपद न्यायालय, सीतापुर

शिष्टाचार या स्वार्थ .....

भारत देश अपनी प्राचीन सभ्यताओ और विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। शुरुआत से परम्परा चली आ रही है कि हम अपने बड़ो का आदर करते है और उन्हें हर जगह सम्मान देते हैं। परिवार में हमारे माता-पिता, अपने रिश्तेदारो और विध्यालय में अपने गुरुजनों का हमेशा से ही आदर करते हुए आये हैं। हम भारतीयों के परिवार में हमारे माता-पिता का एक अलग ही स्थान है जो भगवान के बराबर दिया जाता हैं।

सतयुग में देवताओ और भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच प्रतियोगिता हुई के देवताओ में सबसे कौन सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी लोग शिव जी के पास पहुँचे और तब शिव जी ने उन सबसे से कहा की जो पृथ्वी के सात चक्कर लगाकर आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। सब अपने-अपने वाहन पर सवार होकर चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी ने अपने माता-पिता के चारो ओर सात चक्कर लगाये और सबके वापस आने के बाद फैसला हुआ के गणेश जी ही सर्वश्रेष्ठ है क्योकि उनकी दुनिया उनके माता-पिता से शुरू होती है और उन्ही पर खत्म, इसके फल स्वरुप किसी भी भगवान की पूजा से पहले श्री गणेश जी पूजा की जाएगी।

ये तो रही बात हमारे परिवार में माता पिता का सम्मान की अब बात आती है विद्यालय में हमारे गुरुजनों के सम्मान करने की। आपने तो महाभारत में एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा अगर नहीं तो आपको थोडा सा परिचय दे दूं। एकलव्य एक योग्य धनुष चलाने वाला योद्धा था और वो धनुर कला चोरी छुपकर गुरु द्रोणाचार्य जी से सीखता था जो पांडवो को धनुर कला सिखाते थे, एक दिन वो अपने विध्यार्थियो को जंगल धनुर कला सिखा रहा थे जिसमे में बिना हानि पहुचाये हुए कुत्ते के मुह में कई एक तीर डालना था। वहा एकलव्य ने कुत्ते का मुह को तीर से भर दिया तभी प्रभावित होकर गुरु द्रोणाचार्य उसके गुरु के बारे में पूछने लगे तो वो उनकी मिटटी की बनी हुइ प्रतिमा के पास ले गया और बोला के वो चोरी छुपे उनकी सिखाई हुई कला अभ्यास करता रहता था। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी ने उससे गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा माँगा और उसने अपना अंगूठा हस्ते हुए अपने गुरु को काट कर दे दिया। ये सम्मान एक छात्र अपने गुरु को देता है क्योकि उसुके लिए गुरु उसके जीवन में सर्वोच्य स्थान रखते है.सतयुग से कलयुग तक शिष्टाचार के मायने ही बदल गए है। ऊपर तो बात हुई शिष्टाचार की अब बात करते है शिष्टाचार को स्वार्थ का नाम देने की। आपके परिवार में कई लोग पैसेवाले होंगे ही और आपके अगर कम पैसेवाले हैं और आप उनसे अच्छे से मेल मिलाप बनाकर रखते है या उन्हें ज्यादा सम्मान देते हैं तो उनको ये लगता हैं के इसके शिष्टाचार के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होगा। स्वार्थ हो सकता हो पैसो का या फिर उनके रुतबे के इस्तेमाल से कोई न कोई काम निकलवाना चाहते हो। वो लोग व्यवहारिक प्यार को स्वार्थ का नाम देने कि कोशिश करते है। परिवार से निकलकर अब बात करते है विद्यालय में गुरुजनों की, अगर आप अपने गुरु की काफी इज्जत करते हैं और उनके शिष्टाचार में उनके पैर छूकर उनका सम्मान करते है या फिर उनकी तारीफ करते है तो अब समय में गुरु जी को भी लगता हैं की छात्र का कुछ न कुछ मतलब होगा इसलिए इतनी चापलूसी कर रहा हैं। उस छात्र का प्यार और सम्मान उन्हें स्वार्थ लगता है।

चलिए दोस्तों अब बात करते विद्यालय के बाद जीवन में अपने कार्यस्थल की, यहाँ पर आप अपने अधिकारी को सम्मान देते है तो आज के समय में उन्हें ये लगता हैं शायद इनका कोई न कोई स्वार्थ छुपा होगा इसीलिए इतना सम्मान दे रहे हैं।

दोस्तों कलयुग के इस दौर में अगर आप शिष्टाचारी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये पढने के बाद अगर आपको लगे कि शिष्टाचारी होने का लोग गलत मतलब निकालते है तो आप अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश न करे क्योकि ये आपका कर्तव्य है और आप इसे हमेशा निभाने की कोशिश कीजियेगा. लोग आपके शिष्टाचारी होने का कुछ भी मतलब निकाले पर आप इसे अपनी आदत बनाये रखियेगा क्योकि कभी न कभी तो लोग आपको समझ पाएंगे के आप स्वार्थी नहीं है और आपके प्रति उनका नजरिया भी बदलेगा।

(अन्नू सोनकर)

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, बलिया

भारतीय न्यायपालिका और कचहरी

भारतीय न्यायपालिका (Indian Judiciary) आम कानून पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को 'आम कानून व्यवस्था' के नाम से जाना जाता है जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। न्यायालय (अदालत या कोर्ट) का तात्पर्य सामान्यतः उस स्थान से है जहाँ पर न्याय प्रशासन कार्य होता है, परंतु बहुधा इसका प्रयोग न्यायाधीश के अर्थ में भी होता है। बोलचाल की भाषा में अदालत को कचहरी भी कहते हैं।

भारतीय न्यायालयों की वर्तमान प्रणाली किसी विशेष प्राचीन परंपरा से संबद्ध नहीं है। मुगल काल में दो प्रमुख न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजाम-ए-अदालत, जहाँ क्रमशः व्यवहारवाद तथा आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। सन् 1857 ई. के असफल स्वातंत्र्ययुद्ध के पश्चात् अंग्रेजी न्याय-प्रशासन-प्रणाली के आधार पर विभिन्न न्यायालयों की सृष्टि हुई। इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल भारत की सर्वोच्च न्यायालय थी। सन् 1947 ई. में देश स्वतंत्र हुआ और तत्पश्चात् भारतीय संविधान के अंतर्गत संपूर्ण-प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना।

भारत में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए निर्मित न्यायालय जिला न्यायालय कहलाते हैं। ये न्यायालय एक जिला या कई जिलों के लोगों के लिए होते हैं जो जनसंख्या तथा मुकद्दमों की संख्या को देखते हुए तय की जाती है। ये न्यायालय उस प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को सम्बन्धित उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालयों को उनके भेदानुसार विभिन्न वर्गों में बाँटा जा सकता है, जैसे उच्च तथा निम्न न्यायालय, अभिलेख न्यायालय तथा वे जो अभिलेख न्यायालय नहीं हैं, व्यावहारिक, राजस्व तथा दंड न्यायालय, प्रथम न्यायालय तथा अपील न्यायालय और सैनिक तथा अन्यान्य न्यायालय। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है।

सत्र न्यायालय (Sessions Court & Court of Sessions) कामनवेल्थ देशों में जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है।यह सभी मामलों की सुनवाई करने में सक्षम होती है, उन मामलों में भी जिनमें मृत्युदण्ड की सजा तक सुनाई जा सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसके तहत दीवानी क्षेत्र की अदालतें होती हैं जिन्हें अलग-अलग राज्यों में मुंसिफ, उप न्यायाधीश, दीवानी न्यायाधीश आदि नाम दिए जाते हैं। इसी तरह आपराधिक प्रकृति के मामलों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि होते हैं।

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नयी न्यायिक संरचना का गठन हुआ था। इसके अनुसार, भारत में कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है जिसके मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं जिन्हें 'निचली अदालत' कहा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के योगदान से कोई भी अछूता नही है, सबसे पहले हर समस्या के समाधान के लिए लोग जिला न्यायालय ही आते है, सबसे जाएदा वाद और सबसे जायदा वादो पर सुनवाई जिला न्यायालय यानी कचहरी में ही होती है, आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद भी जिला न्यायालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में होने के बावजूद आज भी जिला न्यायालय कर्मचारियो की स्थिति अत्यंत दयनीय है, एक तरफ जहाँ उनके ऊपर काम का अत्याधिक बोझ है, तो दूसरी तरफ जिला न्यायालय में कर्मचारियों की सीमित संख्या, साथ साथ जिला न्यायालय का कार्य देखते हुए कर्मचारियो की निम्न स्तर की तनख्वाह और सीमित पदौन्नति के अवसर यह सब भी सबसे बड़ी समस्या में से एक है, जिनका दशकों से कोई अला भला नही हुआ और न ही किसी भी स्तर पर कचहरी और कचहरी के कर्मचारियो का शासन स्तर पर कोई फायदा, कचहरी की समस्या पर भी कोई ध्यान नही देता, आज के समय मे कम सैलरी अत्याधिक काम के साथ साथ अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की लचर व्यस्था, सीमित पदौन्नति के अवसर एवं उच्च ग्रेड की सीमित सीट्स, कर्मचारियो की निम्न संख्या और अत्याधिक फाइल का दबाव यह सभी कचहरी के बाबुओं को अंदर ही अंदर कमजोर कर दे रही है और समस्या की कोई सुध लेने वाला भी नही यह और दर्द दे रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं शाशन को गम्भीरता से कचहरी और कचहरी के कर्मचारियों के बारे में उनके अत्याधिक कार्यबोझ और न्यूनतम सैलरी स्तर और सीमित पदौन्नति के अवसरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ साथ जनपद न्यायालय के वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति मुंसिफ मजिस्ट्रेट स्तर पर भी करने का प्रावधान होना चाहिए।

मैं दीवानी न्यायालय संघ और इस पत्रिका के संपादक महोदय का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश के न्यायालय कर्मचारियों के तैमासिक पत्रिका की शुरुआत की, उनका यह कदम बहुत ही सराहनीय है जहाँ हम सभी साथी अपनी, अपने जिले की और अपने विभाग की अच्छी और कमी दोनो को प्रकाशित करवा सकते है और पूरे प्रदेश के कर्मचारियो को इससे अवगत करा सकते है।

धन्यवाद।

(वसीम अहमद)
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, हमीरपुर
सम्बद्धः मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

संगठन एकता का सूत्र

वर्तमान में भारतीय न्याय व्यवस्था और उस न्याय व्यवस्था में न्यायिक कर्मचारियों की क्या स्थिति है। यह किसी से छिपी नहीं है। न्याय की उम्मीद से लोग जब न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तब उन्हें न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मगर न्यायिक कर्मचारियों का होता है। खुद विचार कीजिए क्या बिना न्यायिक कर्मचारियों के न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी ? लेकिन आज उन्हीं कर्मचारियों की क्या स्थिति है, क्या आप इससे परिचित नहीं हैं, आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि न्यायिक कर्मचारियों का किस प्रकार शौषण हो रहा है। लेकिन सब यह सोच रखते हैं कि हमारे अन्य साथियों को इस बात का ज्ञान नहीं है। इतना ही नहीं हमारे कई साथी तो ये तक भी सोचते हैं कि यह तो आम बात है इसमें शौषण की बात कहां से आ गयी, जो हमारे साथ हो रहा है वो तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन आखिर कब तक हम अपने आप को ये झूठा दिलासा देते रहेंगे ? और यह भी सत्य है कि हम अकेले कभी इस शौषण को न ही तो खत्म कर पाएंगे न ही हम अकेले इसके विरुद्ध आवाज उठा पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम संगठित हों अर्थात एकजुट हों। और इसके विरुद्ध आवाज उठाएं और अपनी स्थिति सुधारें। आप आजादी की ही बात ले लीजिए, क्या गांधी जी बिना संघटन के इस भारत देश को आजाद करा पाते ? नहीं क्युकी जब तक हम अपने हाथ की पांचों उंगलियां को एक साथ संघटित नहीं करेंगे तब तक वह मजबूती नहीं बन सकती । हमें भी अब आवश्यक है कि साथ संघटित हों और इस कर्मचारी एकता हो सही मायनों में प्रदर्शित करें।

उम्मीद है मेरे इस लेख से आपके अंदर सभी कर्मचारियों के प्रति अपनेपन की भावना उत्पन्न हुई होगी। और शौषण के प्रति संघटित होकर कर्मचारी संगठन का साथ देने की अलक उत्पन्न हुई होगी।

कर्मचारी एकता जिंदाबाद !

संगठन ही एकता संगठन की जहान है।
भारत देश की देखो एकता ही महान है।।
जब - जब टूटी एकता गुलाम हम बनाए गए।
अंग्रेजों ने छले कभी राजनीति से छलाए गए।।
उठो जागो एकता का बुलंद तुम नारा करो।
संगठन के लिए न्याय का तुम सहारा बनो।।

(अनुप्रिया सक्सेना)
जनपद न्यायालय, आगरा

समकालीन युवाओं के समक्ष बेरोजगारीः एक बुनियादी चुनौती

वर्तमान समय में युवाओं के समक्ष बेरोजगारी एक बुनियादी चुनौती के रूप में सामने खड़ी है। युवा चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित या फिर उच्च शिक्षित, सभी के समक्ष यह चुनौती अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। बेरोजगारी का इतिहास रहा है कि वह दिनोदिन अपना विस्तार करते जा रही है। कहीं न कहीं इस समस्या को उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम ही जिम्मेदार हैं, लेकिन इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। वर्तमान बेरोजगारी के स्वरूप के लिए सरकारें उत्तरदायी हैं और दृढ इच्छाशक्ति हो तो वही इसको समाप्त भी कर सकती हैं। वास्तव में जब तक व्यापक रूप में फैली यह समस्या समाप्त नहीं की जाती तब तक हमारे समाज में तमाम प्रकार के असामाजिक कृत्य घटित होते रहेंगे, जिसका खामियाजा समाज को उठाना पड़ रहा है। ऐसे अनेक असमाजिक कृत्य जिसको हम प्रतिदिन मीडिया के माध्यमों से देखते, सुनते, और पढ़ते हैं, का प्रमुख कारण बेरोजगारी ही है।

समाज में शिक्षित, अशिक्षित और उच्च शिक्षित प्रमुख रूप से इन तीन प्रकार के समकालीन युवाओं को हम इस चुनौती से सामना करते हुए देख सकतें हैं। यद्यपि कि अशिक्षित युवाओं का संबंध अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से है फिर भी शहरी क्षेत्रों में भी इनकी संख्या को देखा जा सकता है। ऐसें युवाओं के समक्ष बेरोजगारी प्राथमिक समस्या होती है। जीवन के प्रारम्भिक दौर में ये माता-पिता पर आश्रित होते हैं, लेकिन युवावस्था के प्रारंभ होते ही ये अर्थोपार्जन का विकल्प खोजने का प्रयत्न करने लगते हैं। इन पर पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी भी डाल जी जाती जिसके लिए ये अभी तैयार नहीं होते हैं लेकिन फिर भी चूंकि बात परिवार संभालने की होती है इसलिए युवा इस दायित्व को बहुत दिलचस्पी के साथ लेता है। इस प्रकार उसे अपना गाँव छोड़ना पड़ता है, वह गाँव छोड़ तो देता है लेकिन नौकरी के नाम पर जब वह बाहर की वास्तविकता से परिचित होता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि काम के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उससे उसके सपरिवार का खर्च उठाना लगभग असंभव सा है। कुछ युवाओं को तो काम भी नहीं मिल पाता है वे दर-दर भटकते रहते हैं।

रोजगार के क्षेत्र में, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, हर जगह एक विशिष्ट वर्ग ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इस विशिष्ट वर्ग ने ईमानदार और कर्मठी युवाओं की प्रतिभा को कुंठित कर दिया है। रोजगार का हर क्षेत्र चाहे वह निजी, सरकारी या अर्ध-सरकारी हो, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाई-भतीजावाद ने अपना कब्जा जमा रखा है। युवाओं के लिए इस चुनौती का सामना करना सरल नहीं होता, इसलिए ऐसी चुनौतियों से संघर्ष करके रोजगार प्राप्त करनें में कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल।
इस प्रकार रोजगार प्राप्त करने में असफल युवा बेकारी झेलते रहते हैं ऊपर से इन पर पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन का दायित्व दिनों-दिन बढ़ता जाता है, और इस प्रकार जिम्मेदारियों के निर्वहन के क्रम में भारतीय परम्पराएँ और रीति-रिवाज इन पर मानो कहर ढा देते हैं। उनको इसको निभाना ही पड़ता है चाहे कर्ज ही क्यों न लेना पड़ जाए और यह सर्वमान्य सत्य भी है कि सबसे अधिक शिक्षित लोग ही परम्परा, रीति-रिवाज, तीज-त्योहार आदि को निभाते हैं। बेरोजगारी की दशा में अधिकतर शिक्षित युवतियाँ तो सिर्फ-और-सिर्फ घर की चहर दीवारी में कैद होकर रह जाती हैं और इस तरह उनकी सीमा घर की चहारदीवारी से लेकर खेत-खलिहान, नात-रिश्तेदार के घर तक ही सीमित हो जाती है, अगर वे आगे बढ़नें की दिशा में कुछ करना भी चाहती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। इस प्रकार समकालीन युवाओं के समक्ष बेरोजगारी रूपी चुनौती के परिणाम बहुत भयानक, और असामाजिक होते हैं। बेरोजगार युवाओं में आक्रोश की कोई सीमा नहीं रह गई है परिणाम स्वरूप सभी अपने-अपने स्तर से समाज में कुण्ठित मानसिकता का विष घोल रहे हैं और अपने इस कृत्या से बेरोजगारी का बदला समाज व सिस्टम से ले रहे हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, छिनैती, राहजनी, दलाली, माफियागीरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, तस्करी आदि असामाजिक कृत्य कहीं न कहीं बेरोजगारी के ही परिणाम हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सत्तासीन सरकारों द्वारा समकालीन युवाओं को हर तरह से ठगा जा रहा है, उनकी क्षमता और प्रतिभा को गुमराह किया जा रहा है, उनको कुण्ठित किया जा रहा है, डिग्री के नाम पर उन्हें 'मीठे जहर' वाला प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है, उनकी सामर्थ्य, ऊर्जा और शक्ति को गलत दिशा में लगाकर नष्ट किया जा रहा है, फार्म भरवाकर सांत्वना देकर वर्षों तक घोंट-घोंटकर मारा जा रहा है, महँगे फार्म द्वारा युवाओं को चूसा जा रहा है कई बार तो नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद पता चलता है कि संबंधित विज्ञापन के अंतर्गत फर्जी तरह से नियुक्ति हुई थी और कोर्ट ने सभी को रद्द कर दिया है।

इस प्रकार कहा जा सकता है बेरोजगारी रूपी वर्तमान समस्या जो पूरे विश्व समुदाय की समस्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं यह कम है तो कहीं यह पूरी तरीके से सिस्टम पर हावी है और समाज में अनेकानेक असमाजिक कृत्यों की जिम्मेदार है, को प्रभावी तरीके से समाप्त किये जाने पर ही हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकेंगें।

(सुधीर कुमार पाण्डेय)
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, जौनपुर

सभ्य इंसान- 'शायद, एक दानव'

सपनों की इस दुनिया से, बाहर निकलो इंसानो , तेरी क्या औकात जरा तुम, इसको भी तो पहचानो ।।
तेरी ही मनमानी का, देखो है कैसा किस्सा , तेरी करनी भुगत रहा है, दुनिया का हर हिस्सा ।।
तुमने देखा था सपना, सर्व-शक्तिमान बनने का , लेकिन ऐसा करने में, क्यों जतन किया मरने का ।।
कहलाते आए हो अब तक, बुद्धिमान प्राणी पर , तुमसे बड़ कर बहसी कोई, नहीं हुआ धरती पर ।।
धरती कितनी प्यारी थी, प्यारी थी इसकी हर माया , लेकिन तुमने लालच में, इसको कलुषित है कर डाला ।।
नदिया, झील, लहलहाते जंगल, ऊँचे-ऊँचे पर्वत थे , पशु, पक्षी, निरीह चर सारे, मस्त मगन हो रहते थे ।।
लेकिन तेरी लिप्सा ने, सबका विनाश कर डाला , वसुधा, थी जन्नत सी प्यारी, नर्क उसे कर डाला ।।
जंगल काट दिए सारे, खुद का विकास करने में, दया तनिक भी न आयी, इनको विनिष्ट करने में ।।
रहने वाले जीवों को, बेघर तुमने कर डाला, पैसों की खातिर, हत्या कर, विक्रय तक कर डाला ।।
पर्वत सारे तोड़ दिए, भू-तल का क्षय कर डाला, ऐसी तोड़ी चट्टानें, भूकंप इजाद कर डाला ।।
ऐसी-ऐसी खोजें की, जिनका निमित्त हितकारी, लाभ मगर अब कम है इनसे, ज्यादा ये दुष्कारी ।।
इन खोजों ने अब देखो, कैसा मंजर दिखलाया, जीने को जो भटक रहे, उन्हें मौत से है मिलवाया ।।
तुमने पैसे की खातिर, मानवता है बिसराई, ऐसे-ऐसे कर्म कर रहे, रोती सकल खुदाई ।।
मार रहे, एक दूजे को, खून की नदी बहाते, अन्न को खाना छोड़ दिया अब, माँस नोच कर खाते ।।
काट रहे हो बन कर राक्षस, बेजुबान पशुओं को, लूट रहे हो घर की इज्जत, सरे आम सड़कों पर ।।
प्रेम भाव जो कभी रहा, उसे स्वार्थ से ऐसे पाटा, मिल जाएगी जन्नत सोचकर, पुत्र ने बाप को काटा ।।
हाँथ पकड़ कर चला था जिसका, गोदी में जिसने झुलाया, उसी जन्म दाता पर तूने, अपना हाँथ उठाया ।।
हुआ कभी एक चीरहरण था, युद्ध विनाशक देखा, पर जो चीर हरे तन से अब, उसे राजा बनते देखा ।।
जिसकी अस्मत लुट जाए, उसे दुनिया कुल्टा कहती, दुनिया उसका रेप करे फिर, न तनिक जो दोषी होती ।।
कोर्ट, कचहरी, पुलिस ठिकाने, हर जगह दानव रहते, बारी-बारी अबला का सब, बलात्कार फिर करते सस
सिसकती रहती मान गंवाकर, न्याय की भीख माँगती, लेकिन पढ़ी-लिखी जनता, तारीख की किश्त बांटती सस
न्याय की चौखट जो थी कभी, अन्याय वहीं पर होता, उच्च शिखर पर बैठ कर मानव, जुर्म को आँगन देता सस
मजदूरों, निर्धन का जीवन, धनी का गिरवी रहता, रहे भले निर्दोष वो कितना, पर दोषी ही होता सस
भूखे कितने लोग हैं मरते, बच्चे बिन कपड़े के, निम्न वर्ग का खून चूसते, जो माला हैं जपते सस
खुद को कहता है तू मानव, सर्वश्रेष्ट, बलशाली, लेकिन नर रूपी कुत्ते का, नहीं है जग में सानी सस
जितने सारे कर्म बुरे, वो शायद तू ही करता, लगा दी बोली डोली की पर, पेट तेरा न मरता सस
पैसे की खातिर है तूने, तलवे कितने चाटे, हो जाए तेरी तरक्की ऐसी, सोच में जूते खाए सस
इतना नीचे गिर है गया अब, मार दिया आँखों का नीर, दौलत की लिप्सा में पड़कर, दे दी तूने रब को पीर सस
इससे पहले प्रलय करे, सृष्टि खुद न्याय की खातिर, तू बन जा इंसान 'सनम', न बन कोई कातिल शातिर सस
अगर नहीं एहसास किया अब, गलत नहीं है करना, सृष्टि ने जो दिया सुधा रस, उसी का संचय करना सस
आएगी फिर प्रलय भयानक, भू होगी मरुस्थल, हाहाकार मचेगी ऐसी, नहीं बचेगा फिर कल सस
शायद इसीलिए रहबर ने, अभी जरा चेताया है, बोल रहा है, हे ! मानव, तू सम्हल जा, क्यों पगलाया है सस
मैंने तुझको दी है ऐसी, सर्व शक्तियाँ सुन ले, जीवन जीने की राहें जो, सरस सरल है चुन ले सस
फिर कर दे धरती को जन्नत, जैसे तुझे मिली थी, महका दे फिर कली प्रेम की, जैसे कभी खिली थी सस
अपनेपन की खुशबू कली में, दल होंगें मानवता के, फैलेगा उल्लास प्रफुल्लित, मन,हिय,उर,आँगन में सस
सदा रहेगा आतुर फिर, नर-भंवर कलीरस पीने में, जीवन में, जीवन होगा फिर, जान रहेगी जीने में सस
जान रहेगी जीने में, जीवन, जीवंत लगेगा, फिर सारा भू-तल,अम्बर, अपना घर-द्वार बनेगा
फिर सारा भू-तल,अम्बर, अपना घर-द्वार बनेगा ....

(शशांक मणि यादव 'सनम')
जिला एवं सत्र न्यायालय, सहारनपुर

गज़ल

तेरी मोहब्बत का इज़हार जो मुझे करना आता,
मैं भी बार-बार तेरे दर पर देने धरना आता।
मीर व गालिब की चाशनी की बात है अलग,
मुझ को तेरी जुल्फों से है संवरना आता।
इतनी मंहगाई से मजदूर गर वाबसता होता,
सरे शाम ही व लौट कर कभी घर न आता।
डीजल व पेट्रोल के नखरे तो निराले हैं ही,
हम नशीं को है बस रसोई का रोना आता।
इतने अहबाब शायद न हमने खोए होते,
गर मुल्क में हमारे न ये कोरोना आता।
ख्वाहिशें जिन्दगी की अब कोई दरकार नही,
माँ की यादों से फक्त हम को है लिपटना आता।
खुशी, गम, मोहब्बत, रूसवाई तो बस दिखावा है,
जीस्त वैसे है जैसे पानी का इक बुलबुला आता।
किस की खोज में यूँ दर-दर भटकते हो 'जलाल'
दिल को तो उसी के नाम पर धड़कना आता।

(मोहम्मद हक़ीक 'जलाल')
कैशियर
जिला जजी, खीरी

बच्चों का कोना

(अर्णिमा पाठक)

Class- 5th

सुपुत्री श्रीमती प्रीति पाठक

सांस्कृतिक सचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ

शाखा–गौतमबुद्धनगर

(अनुष्ठान सिंह)

Class- 5th

सुपुत्र श्री माहेश्वर किशोर सिंह

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, गोरखपुर

(अविरल सिंह)

Class- 5th

सुपुत्र श्री माहेश्वर किशोर सिंह

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, गोरखपुर

(रीतिका सिंह)

Class-8 th

सुपुत्री स्व.अंजनी कुमार सिंह

(आर्या बाजपेई)

Class-IInd

सुपुत्री श्री वरूण बाजपेई

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, सहारनपुर

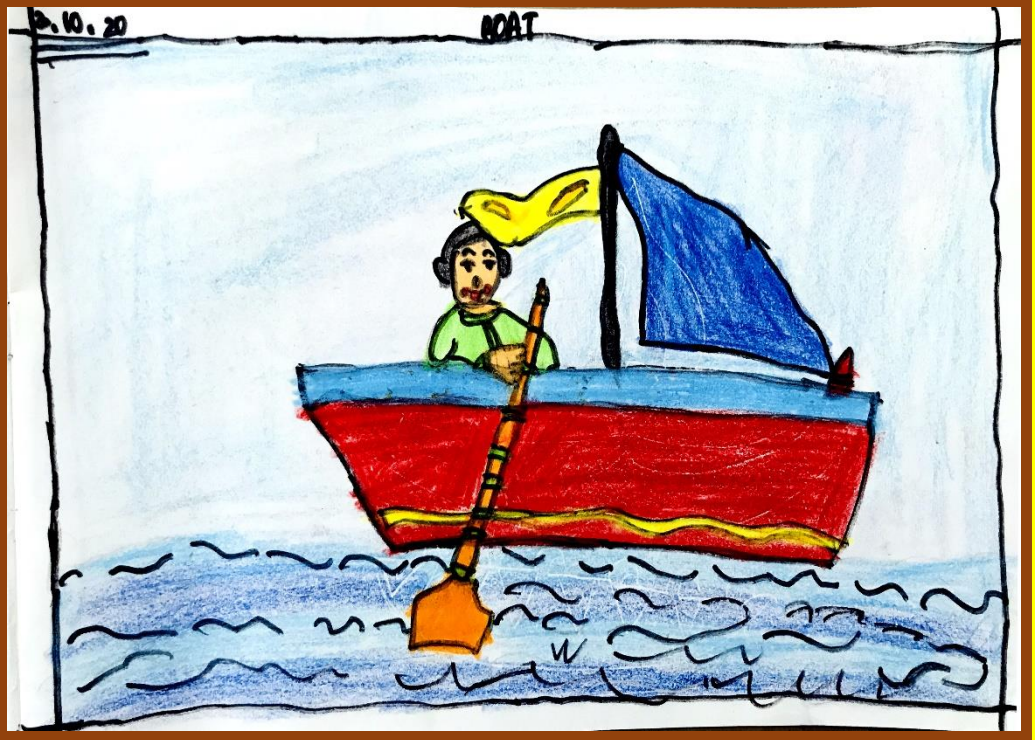

(स्तुति मिश्रा)

Class-VI th

सुपुत्री श्री अमित मिश्र

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर

जिला न्यायालय, लखनऊ

(संपदा सिंह)
Class-9 th
सुपुत्री श्री समरजीत सिंह
शाखा-अध्यक्ष
शाखा- जनपद न्यायालय, भदोही

(रूद्र सिंह)
Class-7 th
सुपुत्र श्री समरजीत सिंह
शाखा-अध्यक्ष
शाखा- जनपद न्यायालय, भदोही

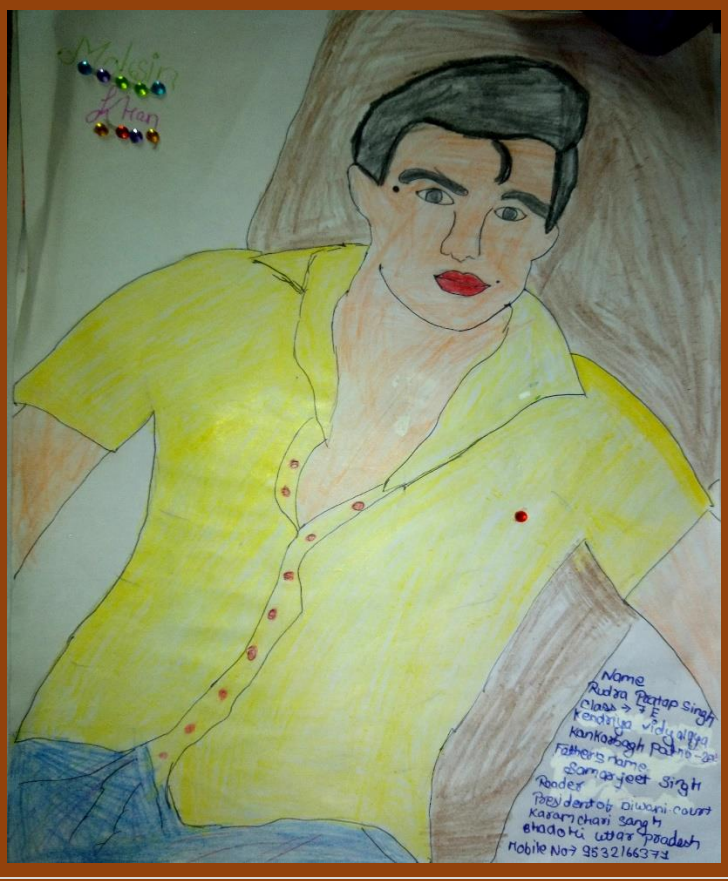

(अविका राय)
Class-IInd
भतीजी श्री अविनाश राय
जनपद न्यायालय, संतकबीरनगर

(अवनी राय)
Class-VIth
भतीजी श्री अविनाश राय
जनपद न्यायालय, संतकबीरनगर

एक नजर में .....

अभूतपूर्व वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री अमर बहादुर सिंह जी के अस्वस्थ्य होने की सूचना पर उनके आवास पर उनका कुशल क्षेम जानते प्रांतीय संघ के पदाधिकारीगण

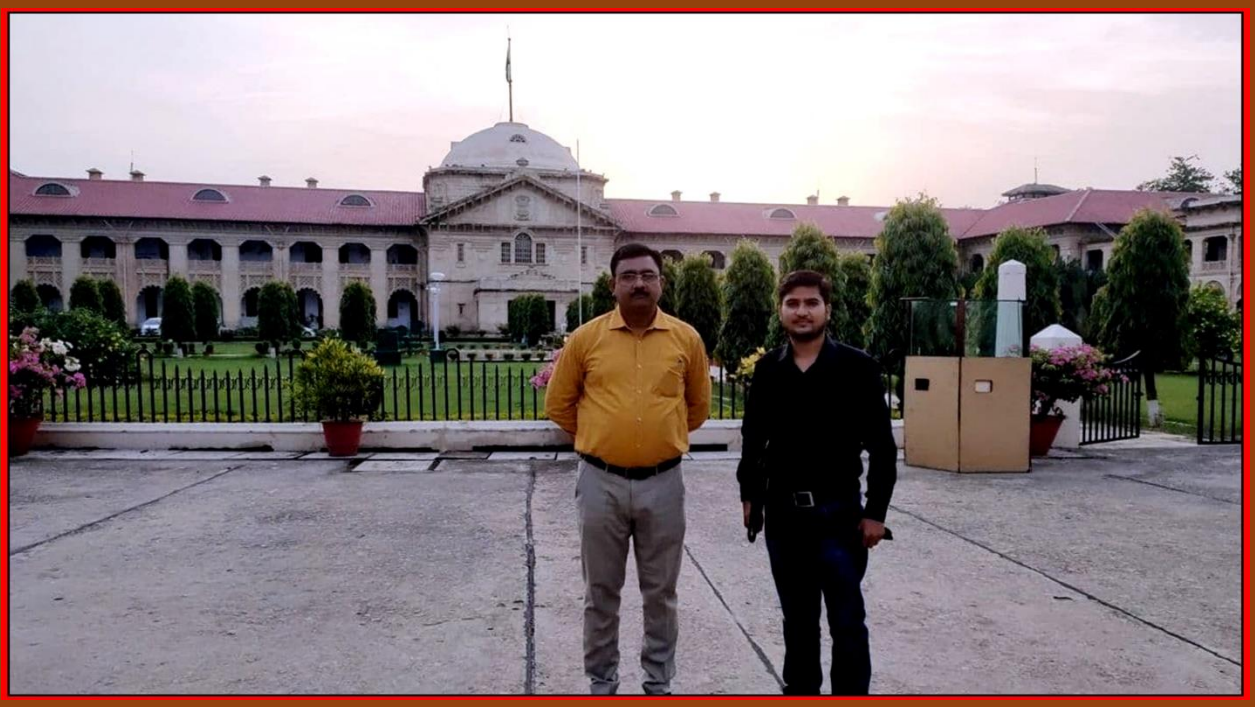

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कर्मचारियो की विभिन्न समस्याओं के बाबत माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं श्रीमान् महानिबन्धक महोदय से शिष्ट मुलाकात हेतु प्रांतीय संघ के पदाधिकारीगण

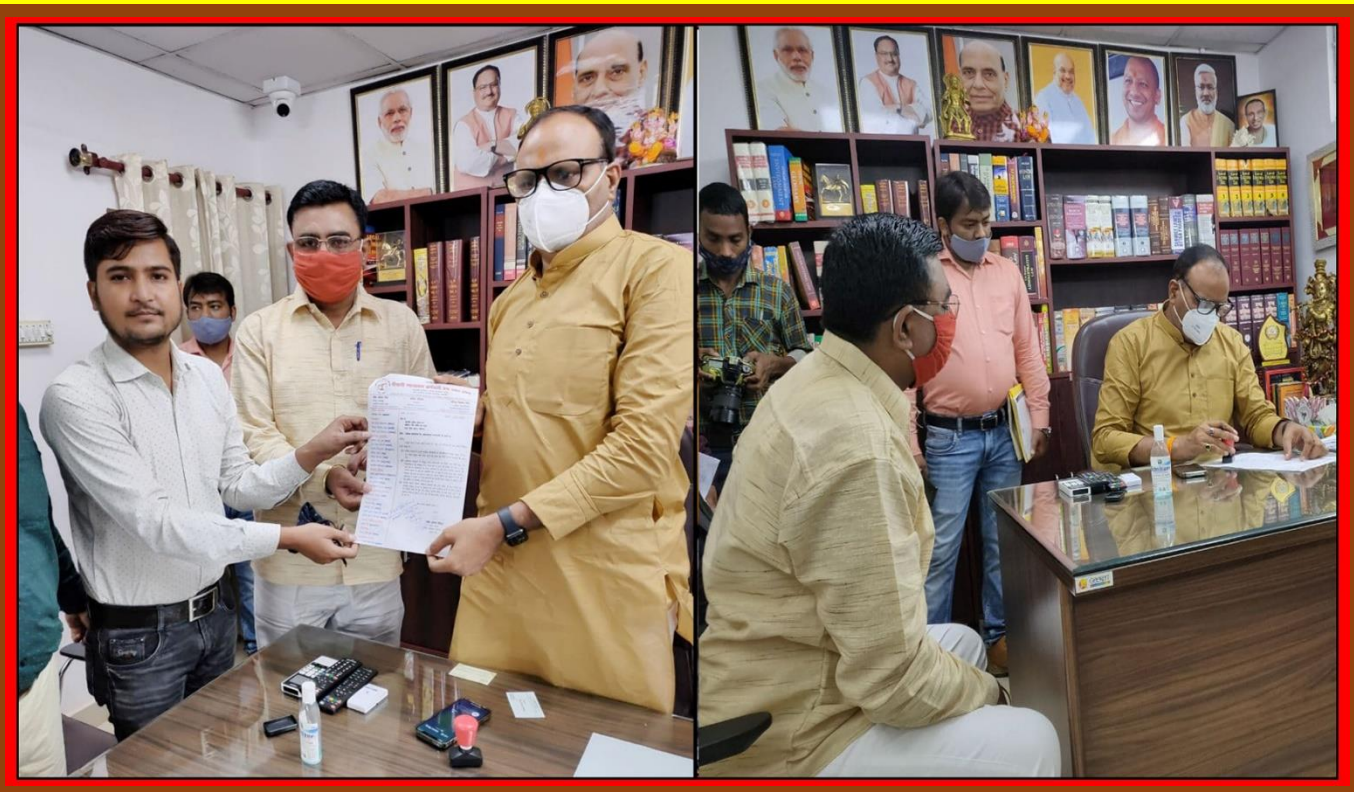

माननीय बृजेश पाठक जी (कैबिनेट मंत्री) उत्तर प्रदेश सरकार को अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों की विभन्न समस्याओं का ज्ञापन सौपते प्रांतीय संघ के पदाधिकारीगण

चौधरी लक्ष्मी नारायण जी (कैबिनेट मंत्री) उत्तर प्रदेश सरकार से शिष्ट मुलाकात करते प्रांतीय संघ के पदाधिकारीगण

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारीगण

डॉ नृपेन्द्र सिंह
प्रान्तीय अध्यक्ष
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, बदायूं
सम्पर्क सूत्र : 9412462719, 9259049509

श्री संदीप चौहान
प्रान्तीय संरक्षक
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, लखीमपुर
सम्पर्क सूत्र : 9451239147, 8707855030
Email -sc60260472@gmail.com

श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रान्तीय महासचिव
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, श्रावस्ती
सम्पर्क सूत्र : 9415572022, 7398372302
Email -nvsinghbhinga@gmail.com

श्री अभिषेक सिंह
प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, इलाहाबाद
सम्पर्क सूत्र : 9793786808

श्री हरिशंकर श्रीवास्तव
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, लखीमपुर
सम्पर्क सूत्र : 9450177439, 9628639559
Email -hari260969@gmail.com

श्री विवेक दत्त उपाध्याय
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, फर्रुखाबाद
सम्पर्क सूत्र : 9450202769

श्री सै० मोहम्मद ताहा
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी
सम्पर्क सूत्र : 9335306480

श्री अमरेश चन्द दूबे
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, मिरजापुर
सम्पर्क सूत्र : 8400525068

श्री जयशंकर त्रिवेदी
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी
सम्पर्क सूत्र : 9695306900

श्री संजीव विश्वकर्मा
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्धनगर
सम्पर्क सूत्र : 9410243297

सुश्री प्रतिभा तोमर
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, हापुड़

श्री विवेक त्रिपाठी
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, चन्दौली
सम्पर्क सूत्र : 9415622014, 7007838409
Email -vivek100204@gmail.com

श्री धीरेन्द्र सिंह
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर देहात
सम्पर्क सूत्र : 9450344500

श्री अवनीश श्रीवास्तव
प्रान्तीय उपाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, इलाहाबाद
सम्पर्क सूत्र : 9450593570, 7007610150
Email -avneesh.srivastava999@gmail.com

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
प्रान्तीय संयुक्त सचिव
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बेडकरनगर
सम्पर्क सूत्र : 9450717046, 8858834413
Email -anilsrivastava.abn@gmail.com

श्री संदीप यादव
प्रान्तीय संयुक्त सचिव
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, सहारनपुर
सम्पर्क सूत्र : 9719641295
Email -sandeep9719641295@gmail.com

श्री प्रिय रंजन किशोर
प्रान्तीय संयुक्त सचिव
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, बागपत
सम्पर्क सूत्र : 9758585853, 7983504235

श्री भागवत शुक्ल
प्रान्तीय संयुक्त सचिव
सम्पर्क सूत्र : 9936595999, 9335007002
E-Mail: jointsecretary@dnksup.com

श्री प्रेम नारायण
प्रान्तीय संयुक्त सचिव
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, सीतापुर
सम्पर्क सूत्र : 9555165062

श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव
प्रान्तीय संगठन सचिव
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, श्रावस्ती
सम्पर्क सूत्र : 9838511418
Email -shudirsrivastava827@gmail.com

श्री अवधेश खरे
प्रान्तीय संगठन सचिव
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, ललितपुर
सम्पर्क सूत्र : 8299106580
Email -avdheshkharel22@gmail.com

श्री सुधीर कुमार विश्नोई
प्रान्तीय संगठन सचिव
कैम्प कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, बिजनौर
सम्पर्क सूत्र : 9458220678, 8218838801
Email -vishnoisudhir562@gmail.com

श्री अजय गर्ग
प्रान्तीय संगठन सचिव
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, मुजफ्फरनगर
सम्पर्क सूत्र : 9917504427

श्री देवराज सिंह
प्रान्तीय संगठन सचिव
कैम्प कार्यालय: जनपद न्यायालय, अलीगढ
सम्पर्क सूत्र : 99175 26480

श्री नीरज श्रीवास्तव
प्रान्तीय कोषाध्यक्ष
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ
सम्पर्क सूत्र : 9452271732

श्री रतन श्रीवास्तव
प्रान्तीय सांस्कृतिक सचिव
कैम्प कार्यालय :
जिला एवं सत्र न्यायालय, इलाहाबाद
सम्पर्क सूत्र : 9450614953

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

मुख्यालय : 15-A अभिषेक पुरम, जानकी पुरम विस्तार, लखनऊ (उ0प्र0) - 226021

अध्यक्षीय कार्यालय : जनपद न्यायालय, बदायूँ महासचिव कार्यालय : जनपद न्यायालय, श्रावस्ती

Website : dnksup.com

https://www.youtube.com/channel/UC0k77lJSZqF3xMbS2IiNgMg
https://twitter.com/N4dlO02t2fjIwei?s=09
https://www.facebook.com/दीवानी-न्यायालय-कर्मचारी-संघ-उत्तर-प्रदेश-1623001401346033/
https://t.me/joinchat/W1r9pPk1S5JmODk1
contact@dnksup.com, dnksup1931@gmail.com

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ0प्र0

(राजाज्ञा सं0 1083/7-137, 17/27-1928 तथा संख्या 99/7139, दिनांक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

न्यायिक कर्मचारियों के हितार्थ संकल्पित

श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रान्तीय महासचिव

डॉ0 नृपेन्द्र सिंह
प्रान्तीय अध्यक्ष